न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) नागौर

बइजलास–रामजस विश्नोई (आर.ए.एस.)

वाद इस्तकार हक खातेदारी घोषणा एवं बंटवाड़ा एवं हुक्म इम्तनाई दवामिं इत्यादि अधीन धारा 88, 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 25 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956

संख्या :– 73/1991 (42/2006)

वादी	प्रतिवादीगण
1. नैनी पत्नी कालूराम जाट निवासी घोड़ारण 2. सीता पुत्री लिछमणराम उर्फ लच्छीराम कौम जाट नाबालिग उम्र 12 माह जरिये कुतरती वलिया अपनी दादी मु. नैनी वादी सं. 1 जाट निवासी घोड़ावण	1. नैनूराम पुत्र कालूराम जाट सा. बीरमसर तह. नागौर 2. शांति पत्नी लच्छीराम उर्फ लिछमण पुत्री रावतराम जाट नि. ऊंटवालिया 3. राज सरकार जरिये तहसीलदार नागौर 4. भागीरथराम पुत्र चैनाराम जाट निवासी श्यामसर 5. मूली पत्नी बालूराम जाट निवासी ऊंटवालिया

वकील वादीगण
श्री भंवरलाल चौधरी

वकील प्रतिवादीगण
श्री भगवानराम सारस्वत
श्री डूंगरराम

निर्णय दिनांक :– **25.03.2021**

(1)– वादीगण की ओर से दिनांक 03.03.1991 को निम्नानुसार दावा पेश किया गया:–

1. यह है कि वादी सं. 1 के पुत्र स्व. लिछमणराम उर्फ लच्छीराम कौम जाट निवासी घोड़ावण की हत्या उसकी पत्नी प्रतिवादी नं. 1 मु. शांति ने अपने पेरामोट मगाराम पुत्र हीराराम जाट निवासी घोड़ावण से मिलकर षड्यंत्र कर माह सितम्बर 1990 के अंतिम दिनों में कर दी थी जिसका मुकदम्मा सी.आर. नं. 94/90 पुलिस थाना श्रीबालाजी में जुर्म जैर दफा 302, 201/34 मा.द.स. में दर्ज होकर बाद तफसीस प्रतिवादी सं. 2 एवं उसके सहयोगी मगाराम का चालान अदालत में पेश किया गया जो मुकदम्मा सैसन केस नं. 65/90 अदालत अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नागौर के यहाँ विचाराधीन है।
2. यह है कि इस प्रकार प्रतिवादी सं. 2 शांति के अपने पति की ही हत्या कर दी और हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 25 के तहत अपने पति मुतवफी लच्छीराम उर्फ लिछमणराम के द्वारा छोड़ी गई सम्पति खेताय की विरासत से सर्वथा वंचित हो चुकी और है अर्थात हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वह अपने पति की किसी भी सम्पति की उत्तराधिकारी हकदार नही हो सकती है। मुतवफी लच्छीराम उर्फ लिछमण के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी में वादिनी नं. 1 उसकी माता नैनी और वादिनी नं. 2 उसकी पुत्री सीता मात्र हुए। प्रतिवादी नं. 2 शांति को उपरोक्त कानून के अनुसार

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

कोई भी हक अधिकार प्राप्त नही हुए और न ही हो सकते है। वाद के साथ नकल प्रथम सूचना रिपोर्ट व चालान पेश की जा रही है।

3. यह है कि प्रतिवादी नं. 2 आपराधिक प्रकृति की औरत है जिसने अपने पति की हत्या कर दी और वह अपने सहयोगियों के सहयोग से मुतवफी लच्छीराम की सम्पति व खेताय पर अनाधिकृत अधिकार जमाकर वादीगण सं. 1 व 2 को उनके हकूको से वंचित करने की फिराक में है जिससे वादी सं. 2 का हित भी प्रतिवादी सं. 2 के ओर से सुरक्षित नही है। उनके द्वारा वादी सं. 2 की भी सम्पति के अधिकार के लिए हत्या कर दिये जाने की सम्भावना है ऐसी स्थिति में एक वर्षीय नाबालिग वादी नं. 2 की सर्वाधिक हितचिन्तक उसकी दादी वादी नं. 1 ही है जो यह वाद बहैसियत खुद व बहैसियत कुदरती वली नेक्सर फ्रेंड वादी नं. 2 के पेश करती है।

4. यह है कि खेताय ख.न. 1 रकबा 4–04 बीघा, ख.न. 3 रकबा 2–12 बीघा एवं ख.न. 5 रकबा 30–16 बीघा वाके मौजा बीरमसर मुतवफी लिछमणराम के तन्हा कब्जे काश्त व खातेदारी के खेताय रहते चले आये थे। इनके अलावाखेत ख.न. 18 रकबा 58–02 बीघा वाके सरहद मौजा घोड़ावण भी मुतवफी लच्छीराम उर्फ पिदमणराम व प्रतिवादी सं. 1 नैनूराम के बहिस्सा बराबर सह कब्जे सह खातेदारी में द्वर्ज रहता चला आया था जो गत 8–10 सालों से ही मौके पर आपसी सहमति से बहिस्सा बराबर विभक्त होकर रहता चला आया था जिसमें निस्फ हिस्सा रकबा 29–01 बीघा पूर्वी भाग मुतवफी लिछमणराम के एवं निस्फ हिस्सा पश्चिमी भाग रकबा 29–01 बीघा प्रतिवादी सं. 1 नैनूराम के कब्जे काश्त व खातेदारी में अलग अलग तन्हा रूप से रहता चला आया है। मुतवफी लिछमणराम के बंट निस्फ हिस्सा पूर्वी भाग में उसके मकान, ढाणी, टांका इत्यादि भी बने हुए है। इस प्रकार मुतवफी लिछमणराम की हत्या प्रतिवादी सं. 2 व उसके सहयोगी मगाराम के द्वारा कर दी जाने के पश्चात खेत ख.न. 18 के निस्फ पूर्वी भाग उसमें बने ढाणी, टांका तथा ख.न. 1,3 व 5 वाके मौजा बीरमसर के मात्र एक काबिज खातेदार हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वादीगण नं. 1 व 2 हुई व है तथा बहैसियत खातेदार काबिज है जिनको प्रतिवादी सं. 1 व 2 आपस में मिलकर जबरन बेदखल करने में आमदा है। अभी खेजड़िया का लूंग जब वादीगण द्वारा कटाया जा रहा था तो प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 आकर रोकटोक की और दस दिन पूर्व वादी सं. 1 को ऐलानिया कहा कि वे वादीगण को इन खेताय पर किसी भी हालात में काश्त नहीं करने देगें और प्रतिवादी नं. 2 अपने पति मुतवफी लच्छीराम के इन खातेदारी के खेताय का यथा शीघ्र किसी को बेचान करके इसके बाद किसी से पुनर्विवाह करेगी यानि नाते जायेगी। चूंकी प्रतिवादी नं. 2 जमानत पर छूट गई है और वह अब अपने अन्य सहयोगियों व पीहर वालों के सहयोग से तथा प्रतिवादी सं. 1 के सहयोग से ऐसा करने की कोशिश में है जिसमें यदि उनको कामयाबी हासिल हो गयी तो अनेको तरह के मल्टीप्लीसिटी ऑफ शूटस होगा और वादिनी जो हारिल असहाय बैवा है उसको अपार क्षति होगी और जबरन बेदखली कर दी जायेगी जिस अपार क्षति का कोई मुआवजा नही हो सकेगा और उसकी पूर्ति किसी भी हालात में

संभव नहीं हो सकेगी। इसलिए वादीगण का यह वाद घोषणा खातेदारी बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना लाजमी हुआ है।

5. यह है कि खेत ख.न. 18 वाके मौजा घोड़ारण के विभक्तीकरण की आवश्यता होने से और यह वाद विभक्तीकरण का होने से राज सरकार लैण्ड होल्डर को बजरिये तहसीलदारजी नागौर प्रतिवादी बनाया जा रहा है।
6. यह है कि बिनाय दावा बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण माह सितम्बर के अंतिम दिनों में प्रतिवादी सं. 2 एवं उसके पेरामोर मगाराम के द्वारा वादी सं. 1 के पुत्र व 2 के पिता मुतवफी लंच्छीराम उर्फ लिछमणराम की हत्या कर दिये जाने से और पुलिस द्वारा बाद तफसीस के उनका चालान अदालत में पेश कर दिया जाने से और धारा 302, 201/34 आई.पी.सी. में अंडर ट्रायल होने से तथा हिन्दु उत्तराधिकार की धारा 25 के तहत प्रतिवादी सं. 2 हक व उत्तराधिकारी से वंचित हो जाने से और मुतवफी लिछमणराम के एक मात्र उत्तराधिकारी वादी सं. 1 व 2 होने से तथा मुतदाविया खेताय पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज होने से और प्रतिवादी सं. 2 व 1 द्वारा वादीगण बेदखल करने की घमकी 10 दिन पूर्व ही देने से और खेताय का विक्रय वगैरह करने के लिए आमादा होने से बमुकाम घोड़ारण व बीरमसर तहसील नागौर अन्दर हद व अख्ख्यार समायत अदायत वाला पैदा हुआ।
7. यह है कि कोर्ट फीस वास्ते घोषणा खातेदारी बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के लिए 1/– रूपया प्रति से 3/– रूपया के कोर्ट फीस स्टाम्पस हमारा दावा पेश है।
8. लिहाजा इस्तदुआ वादीगण है कि ड़िक्री बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण घोषणा खातेदारी बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा की सादिर फरमाई जा कर खेत ख.न. 18 रकबा 58–02 बीघा वाके मौजा घोड़ारण के निस्फ हिस्सा पूर्वी भाग 29–01 बीघा का एवं ख.न. 1 रकबा 4–04 बीघा, ख.न. 3 रकबा 2–12 बीघा व ख.न. 5 रकबा 30–16 बीघा वाके मौजा बीरमसर को एक मात्र वादीगण के तन्हा बंटा सुदा कब्जे काश्त व खातेदारी के खेताय होने की और ख.न. 18 वाके मौजा घोड़ारण के शेष पश्चिमी भाग रकबा 29–01 बीघा को प्रतिवादी सं. 1 के बंट सुदा खातेदारी में होने की घोषणा की जावे और अधिकार अभिलेखों में अमल दरामद कराया जावें। प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें। खर्चा वाद दिलाया जावें, दीगर दादरसी मुफीद वादीगण हो वह भी अता फरमाई जावें।

(2) – प्रतिवादी सं. 2 शांति ने दिनांक 28.06.95 को निम्नानुसार उत्तरवाद प्रस्तुत किया –

1. कि अनुच्छेद सं. 1 दावा में यह सरासर असत्य एवं मिथ्या है कि लिछमण यानी स्व. लच्छीराम वादी नैनी का पुत्र हो। यह भी सरासर गलत है कि प्रतिवादी शांती का मगाराम या अन्य कोई जार (Paramour) हो। यह भी सर्वथा असत्य है कि प्रतिवादी ने मगाराम के साथ कोई षड्यंत्र किया हो और यह भी असत्य है कि मगाराम या अन्य की मदद से प्रतिवादी शान्ती ने सितम्बर 1990 में हत्या कर दी हो। अपितु वादी मु. नैनी एवम् प्रतिवादी नेनू

वगैरा ने जब प्रतिवादी शान्ती अपने पीहर गई हुई थी तब किसी छदम तरीके से संशयप्रद हालात में लिछाराम की सम्पति हड़पने की प्रेरणा से कत्ल करवा दिया। अलबता सरासर मिथ्या मुकदम्मा धारा 302, 201/34 आईपीसी में प्रतिवादी सं. 2 के विरूद्ध भी दर्ज करवाया था व गलत चालान करवाया था। मगर प्रतिवादी शान्ती निर्दोष थी इसलिए न्यायालय से सम्मान पूर्वक बरी कर दी गई थी।

2. कि अनुच्छेद सं. 2 भी सरासर असत्य है इसलिए अस्वीकार है। यह मिथ्या है कि प्रतिवादी शांति ने अपने पति लीछाराम की हत्या कर दी हो। यह भी गलत है कि प्रतिवादी धारा 25 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम या अन्य प्रावधान के अन्तर्गत लछीरामजी की सम्पति को उत्तराधिकार में प्राप्त करने को वंचित की जा सकती हो। यह सरासर गलत है कि वादी नैनी स्वर्गीय लच्छीराम की माता हो। यह भी गलत है िकवह लच्छीराम की मृत्यु के फलस्वरूप उसकी सम्पति उत्तराधिकार में प्राप्त करने को प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों में आती हो। लच्छीरामजी की माता तो मु. बाली थी जो बहुत वर्षो पहले गुजर गई जब कि लच्छीरामजी की उम्र साल मात्र थी। मु. नैनी लच्छीराम के पिता स्व. कालूरामजी की दूसरी पत्नी है। जिससे कालूराम ने लच्छीराम की माता के मृत्यु के बाद नाता किया था। इसलिए मु. नेनी स्टेप मदर मानी विमाता है जो माता की श्रेणी में नही आती एवम् वह धारा 8 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम या किसी अन्य कानून के अन्तर्गत लच्छीरामजी की सम्पति की हकदार नहीं हो सकती क्योकि इससे पूर्व प्रतिवादी शांति एवम् लच्छीराम की लड़की सीता दोंनों समान रूप से तमाम सम्पति के उत्तराधिकारी है। मु. सीता का कोई संबंध मु. नैनी से नही है और न वह किसी कानून के अन्तर्गत मु. सीता की संरक्षक है। मु. सीता प्रतिवादी शांति के पास एवम् संरक्षण में है व प्रतिवादी शांति ही उसका पालण पोषण कर रही है। मु. शांति अल्पव्यस्क सीता की ओर से माता है उसका कोई हित सीता के हितों के विरूद्ध नही है। मु. नैनी गलत व मिथ्या रूप से अपने को स्व. लच्छीराम की माता बताकर व असत्य रूप से अपने को सीता की संरक्षक बताकर प्रतिवादी शांति व उसकी लड़की की सम्पति हड़प करना चाहती हैं। प्रथम सूचना व चालान का अब कोई महत्व नही हैं क्योंकि इस फौजदारी प्रकरण का निर्णय हो गया है व प्रतिवादी निर्दोष है।

3. कि अनुच्छेद सं. 3 दावा भी सरासर मिथ्या एवं झुठ है इसलिए अस्वीकार है। यह गलत है कि प्रतिवादी आपराधिक प्रवृति की महिला है अपितु वादी के सम्पति हड़पने की योजना से वादी के पर anticodont पर विचारण का प्रश्न सामने है व गौर तलब है कि इस सम्पति को वादी हड़प करना चाहती हैं या प्रतिवादी शांति। वादी का यह आरोप भी सरासर निराधार है कि प्रतिवादी ने सम्पति हड़पने की प्रेरणा से मु. लच्छीरामजी की हत्या कर दी। आपराधिक प्रकरण व प्रेम प्रसंग में वादी ने अवैध वासना के वशीभूत होकर हत्या करवा दी एवं अब आरोप इससे भिन्न लगा रही है कि सम्पति हड़पने के लिए प्रतिवादी ने हत्या करवा दी। अपितु सत्यता इसके विपरीत है। प्रतिवादी जब

अपने पीहर गई हुई तब विमाता वादी वगैरह ने हत्या करवाई और हम सभी लोग शोक सन्तप्त एवं झूठे मुकदम्मे में बचाव कर रहे थे तब भी वादी तो कभी तहसील एवं कभी पटवारी के यहाँ यह भूमि हथियाने को गलत नामान्तरकरण एवं दावे में मशगूल थी। सीता निरन्तर प्रतिवादी के पास में थी और अब भी प्रतिवादी के पास में है और सीता की वादी दादी नहीं है अपितु सीता के दादा की नातायत दूसरी औरत है जो किसी भी सूरत में सीता की संरक्षक व हित चिन्तक नही है। इसलिए नैनी विमाता होने से न तो वह उत्तराधिकारी है न दावा कर सकती है न नैनी मु. सीता की दादी एवं संरक्षक है इसलिए सीता की तरफ से नैनी द्वारा किया गया दावा संधार्य नही है।

4. कि अनुच्छेद सं. 4 दावा गलत है इसलिए अस्वीकार है। ख.न. 1, 3 व 5 वाके मौजा बीरमसर व ख.न. 18 की भूमि वाके घोड़ारण हिस्सा जो लच्छीरामजी की थी वह तमाम भूमि के उत्तराधिकारी बैवा व पुत्री होने से समान रूप से प्रतिवादी शांति व उसकी लड़की सीता है। वादिनी न तो सीता की किसी कानून के अन्तर्गत संरक्षक है व न उसे सीता की ओर से दावा करने का कोई हक है। यह तमाम भूमि प्रतिवादी शांति व उसकी लड़की सीता जो स्वर्गीय लच्छीरामजी के क्रमशः बेवा व लड़की है उनकी खातेदारी की भूमि है इसलिए वे ही खातेदार होने एवं भौतिक विभाजन कराने एवं शाश्वत निषेधाज्ञा पाने की हकदार है।
5. कि अनुच्छेद 5 अदालत के गौर का है।
6. अनुच्छेद 6 दावा गलत है इसलिए अस्वीकार है। वादी नैनी को कोई वाद हेतु पैदा नही हुआ। वह किसी भी सूरत में प्रतिवादी शांति जो स्व. लच्छी राम की विवाहित बैवा है एवं सीता जो स्व. लच्छीरामजी की एक मात्र लड़की है दोनों समान रूप से उत्तराधिकारी है व उनके मौजूद रहते हुए वादी नैनी को न तो कोई हकदार है एवं न ही कोई वाद हेतु पैदा हुआ। प्रतिवादी शांति ने कोई हत्या नही की और न ही कोई सक्षम न्यायालय में को ऐसा निर्णय है व न शांति किसी भी तरह उत्तराधिकारी से वंचित हुई।
7. कि अनुच्छेद 7 अदालत के गौर का है।
8. कि अनुच्छेद 8 दावा गलत है, इसलिए अस्वीकार है। वादी नैनी इस प्रकरण में कोई इस्तदुआ किसी प्रकार किसी प्रकार का प्राप्त नही कर सकती। न नैनी, सीता की दादी व संरक्षक है। शांति, सीता की ओरस माता हे व वही संरक्षण कर रही है व वही सीता का पालण पोषण कर रही है। इसलिए सीता की तरफ से दावा कर उसको फैसला व डिक्री प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। सीता के तमाम हित नैनी के विरूद्ध है। नैनी प्रच्छन रूप से सीता का संरक्षण प्राप्त कर इस भूमि को हड़पना चाहती है। इसलिए किसी भी सूरत में वादी कोई इस्तदुआ नहीं पा सकती। अपितु यह भूमि एक मात्र प्रतिवादी शांति एवं उसकी लड़की सीता के खातेदारी की भूमि समान रूप से है, ऐसा ही वह घोषित कराने के हकदार है इस दावा में प्रतिवादी शांति ancillary रूप से भी यह घोषित करवाने की हकदार है प्रतिवादी शांति ही इस सीता की संरक्षक है व वादी नैनी एवं प्रतिवादी सं. 1 नैनूराम के विरूद्ध प्रतिवादी

शाश्वत निषेधाज्ञा पाने के हकदार है। इस संबंध में प्रतिवाद (काऊन्टर क्लेम) प्रस्तुत कर दिया है एवं न्यायालय शुल्क प्रस्तुत कर दिया गया है। इसलिए प्रतिवादी सं. 2 शांति आवश्यक अनुतोष पाने की हकदार है। शांति बहैसियत स्वयं एवं संरक्षक मुस्मात सीता के हिसाब से निवेदन है कि यह वाद ग्रस्त भूमि सीता व शांति की स्व. लच्छीरामजी की पुत्री व बेवा होने से बहिस्सा बराबर खातेदारी की करार दी जावें। व डिक्री शांति व सीता के हक में दी जावे वादी नैनी का दावा खारिज करावे। खर्चा प्रतिवादी को दिलाया जावें।

(3) दिनांक 04.08.95 को प्रतिवादी नेनूराम ने अपना जबाव दावा निम्नानुसार पेश किया–

1. कि वाद का अनुच्छेद सं. 1 का जबाव है कि लच्छीराम की हत्या अवश्य हुई है मगर किसने की जबाव देहिन्दा नही बता सकता। हत्या का मामला मगाराम व मु. शांति पर अवश्य चला था मगर उसमें ये लोग अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय नागौर से बरी हो गये है, शेष बातें बतौर लाइल्मी अस्वीकार है।
2. कि वाद का अनुच्छेद 2 गलत है जो अस्वीकार है। मु. शांति ने हत्या लच्छीराम की नही की है, सो वह हिन्दु उत्तराधिकार कानून के तहत अयोग्य नही है। लच्छाराम के खेतों की उत्तराधिकारी मु. सीता व मु. शांति ही उसकी मृत्यु के बाद हुवे है। मुस. सीता अब 4 वर्ष की नाबालिग है तथा उसका संरक्षक जबाव देहिन्दा प्रतिवादी ही है। मु. शांति ने तीन वर्ष पुर्व श्री सुखराम निवासी ईनाणा के साथ नाता कर लिया तथा इस परिवार से संबंध तोड़ लिये है तथा प्रतिवादी जबाव देहिन्दा के घर व परिवार से उसका कोई रिश्ता नही रहा है। उस नाते प्रतिवादी जबाव देहिन्दा की ईच्छा के विपरीत मु. शांति के पिता रावतराम ने भेजी है। इस पर प्रतिवादी जबाव देहिन्दा ने पहले गांव के मुखिया को फिर 7 गांवों के मुखिया को व चार पट्टी के पट्टीदारों को इक्कठा किया जिसमें रावतराम पर दण्ड किया गया व बच्ची सीता को प्रतिवादी जबाव देहिन्दा के पास रखने का फैसला दिया व जमीन जायदाद अचल सम्पति प्रतिवादी जबाव देहिन्दा के पास रखने का निर्णय किया। विवाद ग्रस्त भूमि पहले से ही प्रतिवादी के पास थी तथा इस न्याति फैसला के बाद भी वही इस भूमि काबिज है तथा उसी का कब्जा काश्त आज दिन है। वादी सं. 1 का इस भूमि में कोई सरोकार नही हैं। वह लिछमण उर्फ लच्छीराम की माता न होकर विमाता है इसलिए उसका उत्तराधिकार में कोई हक नहीं है। मु. शांति हत्या के मामले में दोषी नहीं पाई गई न उसका इस हत्या में सहयोग पाया गया इसलिए वह उत्तराधिकार से अयोग्य नही हुई है। इस प्रकार पूरा अनुच्छेद अस्वीकार है।
3. वाद का अनुच्छेद सं. 3 गलत है इसलिए अस्वीकार है, मु शांति ऊपर बताये गये अनुसार हत्या की दोषी प्रमाणित नही होने से उत्तराधिकार से अयोग्य नही हुई है। वादी सं. 1 का विवाद ग्रस्त भूमि पर कोई हक व अख्तीयार नही है। यह भूमि वादी नं. 2 मु. सीता व प्रतिवादी नं. 2 मु. शांति को लच्छीराम ने उत्तराधिकारी होने से उत्तराधिकार में मिली है। मु. सीता 4 वर्ष की नाबालिग

बच्ची है जिसका संरक्षक प्रतिवादी जबाव देहिन्दा नैनूराम है क्योंकि मु. शांति ने इस पविार से नाता तोड़कर सुखराम निवासी ईनाणा से नाता कर लिया है तथा मु. शांति व सीता की ओर जो मुतदाविया भूमि है, उस पर क़ब्जा एक मात्र नेनूराम प्रतिवादी जबाव देहिंदा का है जिसे समाज के प्रतिष्ठित लोगो व आस पड़ौस के गांवों के मुखिया ने तथा जाट समाज के पट्टीदारों ने माना है इसलिए इस भूमि के संबंध में कोई दावा वादी सं. 1 को लाने का अधिकार नही है। वह मु. सीता की संरक्षक नही है तथा न वह नाबालिग सीता की परवरिश कर सकती है न करवाना चाहती है। मात्र उसका बहाना बना कर जमीन हड़प कर जाना चाहती है इसलिए मु. सीता व वादी नं. 1 के हित एक दूसरे के विपरीत है। इस अनुच्छेद की शेष बाते गलत है जो अस्वीकार है।

4. वाद का अनुच्छेद सं. 4 गलत है, जो अस्वीकार है, यह सही है कि मौजा बीरमसर के खेत ख.न. 1 रकबा 4–04 बीघा, ख.न. 3 रकबा 02–12 बीघा व ख.न. 5 रकबा 30–16 बीघा पूर्व मौजा बीरमसर तथा मौजा घोड़ारण का ख. न. 18 रकबा 58–02 बीघा का आधा हिस्सा लिछमणराम पुत्र कालूराम, जो जबाव देहिन्दा का भाई है की खातेदारी की भूमि थी जो उसकी नानी मु. तीजा पत्नी हरूराम जाट घोड़ारण ने दिनांक 6.11.1971 को रजिस्टर्ड बख्शीशनामे के जरिये बख्शीश करके कब्जा करवा दिया था तब से यह भूमि उसकी के कब्जा काश्त में जब तक वह जीवित था रही तथा उसके बाद यह भूमि उसकी बैवा शांति के कब्जे में आई जिसमें ऊपर बताये मुजबक सीता का भी उत्तराधिकार से हक है। मु. सीता का संरक्षक जबाव देहीदा नेनूराम ही अब रहा है तथा मु. शांति ने नाता करके इस परिवार से अपने संबंध तोड़ लिये है। इससिए इस परिवार की सम्पति पर उसका कोई हक नहीं रहा है तथा इस जमीन का एक मात्र खातेदार प्रतिवादी जबाव देंहीदा व मु. सीता है तथा उसी का कब्जा इस जमीन पर है। खुलासा जबाव ऊपर के अनुच्छेद में दिया जा चुका है। वादी सं. 1 का इस जमीन में ऊपर बताये मुजब कोई हक नही है। इस अनुच्छेद में दर्ज शेष बातें मनगढत है व बिनाय दावा बनाने के लिए लिखी गई है, जो अस्वीकार है। यह गलत है कि वादी सं. 1 ने विवाद ग्रस्त भूमि पर कभी खेजडिया का लूंग कटाया हो व प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने उसे रोकटोक की हो। यह सब होने का प्रश्न ही नही है क्योंकि कब्जा शांतिपूर्वक लच्छीराम की मृत्यु के बाद प्रतिवादी सं. 1 व 2 का ही चल रहा था। अब अकेले नेनूराम का कब्जा स्वयं उसकी तरफ से तथा नाबालिग मु. सीता की तरफ से है। वादी सं. 1 असहाय बेवा नहीं है, उसके 4 लड़के है जो उसकी मदद में उसके पास ही रहते है। यह दावा उसने बदयांति से जमीन हड़पने की नियत से किया है।

5. यह है कि वाद का अनुच्छेद सं. 5 में दर्ज अनुसार राज्य सरकार को अनावश्यक रूप से पक्षकार बनाया है।

6. वाद के अनुच्छेद 6 में दर्ज अनुसार कोई बिनाय दावा वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध कभी कही पर भी पैदा नही हुई इसलिए यह दावा बिनाय दावा के अभाव में खारिज होने योग्य है।

7. वाद का अनुच्छेद सं. 7 बाबत कोर्ट फीस के है जो काबिल गौर अदालत के है।
8. वाद के अनुच्छेद सं. 8 में चाही गई दादरसी में से एक भी वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध पाने के अधिकारी नहीं है, अतः दावा मय खर्चा खारिज होने योग्य है।

विशेष उजर

1. कि यह दावा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 25 के तहत प्रतिवादी सं. 2 को उसके उत्तराधिकार को अस्वीकार कर अयोग्य घोषित करने के लिए किया गया है, जो दिवानी अदालत सुन सकती है। राजस्व अदालत इसे यहां नही सुन सकती है। इसलिए दावा चलने योग्य नही है तथा सक्षम अदालत में पेश करने के लिए लौटाये जाने योग्य है।
2. कि उक्त अयोग्यता हत्या का अपराध प्रतिवादी सं. 2 के विरूद्ध साबित हो जाने पर ही हो सकती है। मात्र मामला दर्ज हो जाना काफी नही है। प्रतिवादी सं. 2 लच्छीराम की हत्या के आरोप से सक्षम अदालत द्वारा बरी कर दी गई है इसलिए उसके विरूद्ध हत्या का आरोप प्रामाणित नही है। अतः वह लच्छीराम के उत्तराधिकार से अयोग्य नही है तथा न इस उत्तराधिकार से वंचित ही किया जा सकता है।
3. कि वादी नं. 2 मु. सीता की तरफ से दावा लाने का अधिकार वादी नं. 1 को नहीं है क्योंकि यह नाबालिग की संरक्षक नही है तथा न नाबालिग वादी सं. 1 के पास रहती है तथा उनके हित एक दूसरे के विपरित है तथा माता के जीते विमाता दादी नाबालिग की संरक्षक नही हो सकती। न्याति समाज में भी नाबालिग का संरक्षक प्रतिवादी जबाव देहींता को माना है। इस प्रकार किसी भी तरह वादी नं. 1 को वादी नं. 2 की तरफ से यह दावा लाने का अधिकार नही है। अतः जबाव दावा पेश कर अर्ज है कि दावा मय खर्चा खारिज किया जावें।

(4)1. वादीगण दावे में दिनांक 25.09.03 को सीता पुत्री लिच्छुराम उर्फ लिछमणराम के बयान(DW-1) निम्नानुसार अंकित है:– "मेरे पिता लिछमणराम फौत हो चुके है। मेरे पिता के नाम घोड़ारण में जमीन आई हुई है। जिसके ख.न. 1,3,5 जिनका कुल रकबा अंदाजन 37–38 बीघा है एवं ख.न. 18 जिसमें आधी जमीन पूर्व की साइड की मेरे पिता की बंट की रही है। कुल लगभग 64 बीघा जमीन रही है। मेरे पिता की मृत्यु के बाद निस्फ 64 बीघा जमीन पर मेरा व मेरी माताजी शांति का कब्जा चल रहा है। मैं मेरे पिता की मृत्यु के बाद मेरी माँ के साथ रह रही हूँ। मेरा भरण पोषण गुजारा तथा देखभाल मेरी माता शांति ही कर रही है। नैनी के साथ कभी भी नहीं रही न नैनी ने मेरा भरण पोषण पालन पोषण किया। नानू प्रतिवादी ने भी मेरा कभी भरण पोषण देखभाल नही की। नैनी व नानू दोनों मेरे संरक्षक नहीं है। मेरी संरक्षक मेरी माता शांति है। नैनी ने मेरा संरक्षक बरकर दावा किया है वह झुठा किया है। मेरे पिताजी के उत्तराधिकारी मैं और मेरी माताजी है। नानूराम व नैनी मेरे पिता के उत्तराधिकारी नहीं है। मेरे व मेरी माताजी के अलावा लिच्छूराम के कोई उत्तराधिकारी नही है। नैनी मेरे पिताजी की सगी माता नहीं है बल्कि मेरे

पिता की सगी माता मर गई थी तब मेरे दादा नैनी को घर में डाल दिया था। मेरे पिता के मरने के बाद वादग्रस्त जमीन का म्यूटेशन नानूराम ने पटवारी वगैरह से मिल कर अपने नाम गलत भराया था और उसमें मेरा संरक्षक भी झूठा बना है। नैनी और नानू ने मेरे पिताजी की जमीन हड़पने के लिए मेरे पिताजी का कत्ल करवा दिया था और इन लोगों ने ही मुकदमा दर्ज कर मेरी मां को झुठा फसा दिया था। कत्ल के मामले को अदालत ने झूठा माना व मेरी मां को बरी कर दिया। यह दावा नैनी व नानू ने मिल कर जमीन हड़पने के लिए झूठा दावा किया है। वादग्रस्त जमीन हमारे खातेदारी की है जो मेरी व मेरी माताजी की घोषित की जाए।"

2. दावे में दिनांक 19.10.2003 को शांति पत्नी लिच्छूराम उर्फ लिछमणराम के बयान (DW-2) निम्नानुसार अंकित है– "वाद ग्रस्त खेत ग्राम घोड़ारण व बीरमसर में स्थित है। घोड़ारण के खेत ख.न. 18 रकबा 58–02 बीघा है जो आधी मेरे पति लिच्छीराम के व आधी नेनूराम की है। ग्राम बीरमसर में तीन खेत है जो ख.न. 1 अंदाजन 4 बीघा ख.न. 3 रकबा 2–12 बीघा रकबा 30–15 बीघा अंदाजन है। बीरमसर की सारी भूमि मेरे पति लिछमण के अकेले के खातेदारी व कब्जे की रही है। मेरे पति फौत हो चुके है जिनके उत्तराधिकारी मैं व मेरी पुत्री सीता है। बीरमसर की पूरी जमीन पर मेरा व मेरी पुत्री सीता का कब्जा मेरे पति के फौत होने के बाद से लगातार चला आया है। आज दिन भी कब्जा व खातेदारी मेरी व मेरी पुत्री की है। मेरे पति की भूमि हड़पने की गरज से वादग्रस्त भूमि को हड़पने की गरज से नैनी व नेनूराम ने मेरे पति की हत्या कर दी और मेरे ही खिलाफ इन लोगों ने हत्या का झूठा मुकदम्मा दर्ज करवा दिया उस मुकदमें में अदालत ने मुझे निर्दोष मान कर बरी कर दिया। मेरे पति की मृत्यु के बाद मेरी बच्ची सीता का भरण पोषण मैं ही कर रही हूँ तथा उसकी संरक्षक मैं ही हूँ। नैनी या नेनूराम ने कभी सीता की देखभाल नही की न ही सीता इनके पास कभी रही है। मैं ही सीता की संरक्षक हूँ। नैनी व नेनू राम उसके संरक्षक नही है। नैनी ने सीता का संरक्षक बता कर दावा झूठा किया है। मेरी सगी सास कभी की मर चुकी है। नैनी मेरी सास नही है। मेरी सगी सास मरने के बाद नैनी को कालूराम मेरा ससुर साथ रखने लग गया था। मुझे मालूम हुआ कि मेरी वादग्रस्त जमीन हड़पने के लिए इस जमीन का म्यूटेशन अपने नाम करा दिया था। घोड़ारण की 58 बीघा जमीन में से आधी जमीन पर मेरे पति की मृत्यु के बाद मेरा व मेरी बच्ची सीता का कब्जा रहता चला आया है। इस 58 बीघा भूमि का बंट कर आधी भूमि पूर्व तरफ की जो मेरे कब्जे काश्त की है, मेरी व मेरी पुत्री सीता की खातेदारी की घोषित की जावे। नैनी व नेनू का बीरमसर की जमीन जो तीन खसरे है उनका कभी कब्जा काश्त नही रहा व घोड़ारण की 58 बीघा मेरी पश्चिमी आधी भूमि पर नेनू का कब्जा है। नकल खतौनी ग्राम घोड़ारण प्रदर्श–1 ग्राम बीरमसर की नकल खतौनी प्रदर्श–2 है फैसले की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–3 है। मेरी सगी सास का नाम बाली था।

5. दावा सं0 16/91 निर्णय व डिक्री दिनांक 26.02.2004 के विरूद्ध अपील आर.ए.ए. नागौर में अपीलांट नेनाराम द्वारा करने पर अपील सं. 10/2005 निर्णय दिनांक 01.03.2006 से निर्णय व डिक्री निरस्त कर रिमांड करने से दिनांक 21.04.2006 को दावा सं. 42/2006 के रूप में पुनः दर्ज हुआ। निर्देशानुसार दोनों पक्षों की पुनः सुनवाई शुरू की गई। नेनी पत्नी कालूराम (वादी सं. 1) की ओर से दिनांक 09.08.07 को श्री भंवरलाल चौधरी एड. ने, प्रतिवादी सं. 2 (शांति पत्नी लच्छीराम) की ओर से दिनांक 01.09.07 को श्री भगवानराम सारस्वत एड. ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं. 5 की ओर से श्री भगवानराम सारस्वत ने वकालतनामा दिनांक 01.09.07 को पेश किया।

6. दिनांक 16.10.07 को प्रतिवादी सं. 4 (भागीरथ राम) ने अपना जबाव दावा मय काऊन्टर क्लेम निम्नानुसार पेश किया–

1. कि वाद का पैरा नं. 1 जबाव यह है कि लच्छीराम की हत्या होना सुना था मगर किसने की जबाव देहींता नही बता सकता। शेष कथन जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।
2. कि वाद का पैरा नं. 2 गलत है जो अस्वीकार है। पैरा नं. 2 का जबाव है कि लच्छीराम की मृत्यु के बाद उसकी पुत्री वादी नं. 2 लच्छीराम के खेतों की उत्तराधिकारी उत्तराधिकार से हुई तथा वादी सं. 1 लच्छीराम की माता न होकर विमाता है इसलिए लच्छीराम के खेतों में उत्तराधिकारी से उसका कोई हक नहीं हो सकता है। शेष पैरा जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।
3. कि वाद का पैरा नं. 3 का जबाव है कि वादी नं. 1 ने व नेक्स्ट फ्रेंड वादी नं. 2 के वाद जरूर पेश किया है मगर कानूनी तौर से वादी सं. 1 वादी सं. 2 की संरक्षक नहीं हो सकती है। शेष कथन जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।
4. कि वाद का पैरा नं. 2 गलत है जो अस्वीकार है। यह सही है कि खेत ख.न. 18 रकबा 58–02 बीघा सरहद मौजा घोड़ारण की मुतवफी लच्छीराम उर्फ लक्ष्मणराम एवं प्रतिवादी सं. 1 नेनूराम के बहिस्सा बराबर सह कब्जे काश्त व सहखातेदारी में दर्ज रहता चला आया था। जो वाद पेश करने से पहले ही गत 8–10 सालों से ही मौके पर आपसी सहमति से बहिस्सा बराबर विभक्त होकर रहता चला आया था परन्तु जिसमें आधा हिस्सास उत्तरी भाग रकबा 29–01 बीघा प्रतिवादी नेनूराम के कब्जे काश्त खातेदारी में रहता चला आया था तथा जहां बाद प्रतिवादी नेनूराम ने उक्त ख.न. 18 रकबा 58–02 बीघा मौजा सुभाषपुरा(घोड़ारण) नें अपने सम्भावित निहित हक व हिस्सा खातेदारी का 1/2 भाग जो इस वाद में विवादग्रस्त भू–भाग भी नही था का दिनांक 26.05.99 को जरिये रजिस्टर्ड बैचान रूपये 90000/– में मुझ प्रतिवादी भागीरथ को बेचान करके कब्जा इस खेत में निहित भाग पर करा दिया था जिससे प्रतिवादी नेनूराम के स्थान पर मुझ प्रतिवादी भागीरथराम के नाम का म्यूटेशन स्वीकार हो कर खतौनी में अमल दरामद भी हो गया था। बेचान के वक्त इस 1/2 भाग का रकबा 29–01 बीघा उत्तरी हिस्सा पर मुझ प्रविवादी का एक मात्र कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस 1/2 भाग रकबा 29–01 बीघा का मुझ प्रतिवादी एक भात्र खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी नेनूराम ने

बेचान के वक्त प्रतिवादी भागीरथ को वाद विचाराधीन होने के तथ्य को छिपाकर अथवा कानूनी अज्ञानता से तथ्यों को प्रकट नही किया जिससें मुझ प्रतिवादी को वाद के विचाराधीन होने की कोई जानकारी नही थी तथा प्रतिवादी नेनूराम का हक हिस्सा इस वाद की विषयवस्तु भी नही था अथवा नेनूराम का 1/2 भाग विवादग्रस्त भूमि नही था तथा बेचान दिनांक 26.05.99 के बाद प्रतिवादी नेनू राम को ख.न. 18 मौजा सुभाषपुरा में कोई हक अधिकार नही रह गया है जिससे प्रतिवादी नेनूराम के स्थान पर मुझ प्रतिवादी भागीरथराम खातेदार हो चुका है और रहता चला आया है। शेष कथन जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।

5. कि वाद के पैरा नं. 5 में दर्ज अनुसार राज सरकार को आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है।
6. कि वाद के पैरा नं 6 में दर्ज कथन अनुसार कोई बिनाय वाद वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध कभी कही पर पैदा नही हुई इसलिए यह दावा बिनाय बाद के अभाव में खारिज योग्य है।
7. कि वाद के पैरा नं. 7 कोर्ट फीस के है जो काबिल गौर अदालत है।
8. कि वाद का पैरा नं. 8 गलत होने से अस्वीकार है। वाद के पैरा नं. 8 में चाही गई दादरसी में से एक भी वादीगण प्रतिवादी के विरूद्ध पाने की अधिकारी नही है।

अतः जबाव दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद सव्यय निरस्त फरमाया जावें।

काऊन्टर क्लेम

1. कि खेत ख.न. 18 रकबा 58–02 बीघा सरहद मौजा सुभाषपुरा (घोड़ारण) की लच्छीराम उर्फ लिछमणराम एवं प्रतिवादी सं. 1 नेनूराम के बहिस्सा बराबर सह कब्जे काश्त व सहखातेदारी में दर्ज रहता चला आया था जो वाद पेश करने से पहले ही 8–10 सालों से ही मौके पर आपसी सहमति से बहिस्सा बराबर विभक्त होकर चला आया था जिसमें आधा हिस्सा उत्तरी भाग रकबा 29–01 बीघा प्रतिवादी नेनूराम के कब्जे काश्त व खातेदारी में अलग–अलग रूप से रहता चला आया था तथा वाद प्रतिवादी नेनूराम ने उक्त ख.न. 18 रकबा 58–02 बीघा मौजा सुभाषपुरा (घोड़ारण) में अपने संभावित निहित हक हिस्सा का 1/2 भाग जो इस वाद में विवादग्रस्त भूमि नहीं था, वो दिनांक 26.05.99 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान रूपये 90,000 में मुझ भागीरथराम को बेचान करके कब्जा इस खेत में निहित भाग में रकबा 1/2 हिस्सा 29–01 बीघा पर करा दिया था जिससे प्रतिवादी नेनूराम के स्थान पर मुझ प्रतिवादी भागीरथराम का म्यूटेशन स्वीकार हो कर खतौनी में अमल दरामद भी हो गया था। बेचान के वक्त इस 1/2 भाग रकबा 29–01 बीघा उत्तरी हिस्से पर मुझ प्रतिवादी का ही एक मात्र कब्जा काश्त रहता चला आ रहा है तथा 1/2 भाग रकबा 29–01 बीघा का मुझ प्रतिवादी एक मात्र काबिज खातेदार काश्तकार है। सो अब यह भूमि मुफ प्रतिवादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है।
2. यह है कि मुझ प्रतिवादी द्वारा खेत हाल ख.न. 18 रकबा 58–02 बीघा मौजा सुभाषपुरा तहसील नागौर में से प्रतिवादी नेनूराम का 1/2 हिस्सा रकबा

29–01 बीघा जरिये रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 26.05.99 को खरीद कर प्रतिवारदी नेनूराम के उत्तरी हिस्सा रकाब 29–01 बीघा का काबिज खातेदार हो जाने से मुझ प्रतिवादी वादीगण के विरूद्ध घोषणा खातेदारी व, बंटवाड़ा करने का अधिकारी है जिसके लिए यह काऊन्टर क्लेम पेश है तथा विकल्प में खेत ख.न. 18 रकबा 58–02 बीघा मौजा सुभाषपुरा का हिस्सा 1/2 रकबा 29–01 बीघा मुफ प्रतिवादी के कब्जे काश्त खातेदारी का घोषित किया जाकर पक्षकारान के बीच भौतिक विभाजन बाई मीट्स एण्ड बाऊण्डस के किया जाकर प्रत्येक को अपने बंट व हिस्से की भूमि का कब्जा सौंपा जावें।

3. कि काउन्टर क्लेम के कोर्ट फीस वास्ते घोषणा खातेदारी व बंटवाड़ा के रूपये 2/– व 1/– अन्य के लिए पेश है।
4. कि प्रतिवादी काउन्टर क्लेम कर्त्ता की प्रार्थना है कि काउन्टर क्लेम प्रतिवादी का स्वीकार किया जावें तथा डिक्री सादिर फरमायी जावें कि खेत ख.न. 18 रकबा 58–02 बीघा मौजा सुभाषपुरा तहसील नगौर का 1/2 हिस्सा उत्तरी भाग रकबा 29–01 बीघा मुझ प्रतिवादी भागीरथराम के कब्जे काश्त व खातेदारी की व बंट की घोषित किया जावें। विकल्प में खेत ख.न. 18 रकबा 58–02 बीघा मौजा सुभाषपुरा तहसील नागौर का 1/2 हिस्सा रकबा 29–01 बीघा मुफ प्रतिवादी के कब्जे काश्त खातेदारी का खेत होने की घोषणा की जाकर पक्षकारान के बीच भौतिक विभाजन बाई मीट्स एण्ड बाऊण्डस के किया जाकर प्रत्येक को अपने बंट व हिस्से की भूमि का कब्जा सौंपा जाए तथा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावे तथा अन्य दादरसी जो भी लाभार्थ मुझ प्रतिवादी हो वह भी अलग से प्रदान कराई जावें तथा खर्चा मामला मुझ प्रतिवादी को वादी से दिलाया जावें ।

7. प्रतिवादी सं. 5 मूली पत्नी बालूराम ने अपना जबाव दावा मय काऊन्टर क्लेम दिनांक 08.07.09 को निम्नानुसार पेश किया :–

1. पैरा एक का जबाव इस प्रकार है – लच्छीराम उर्फ लिछमणराम जाट की हत्या होना सुना था। उसकी पत्नी शांति द्वारा षड्यंत्र बाबत फौजदारी न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण निस्तारित हो चुका है एवं माननीय न्यायालय ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया है। अतः स्व. लच्छीराम के उत्तराधिकारी उसकी पुत्री सीता एवं पत्नी शांति है अन्य तथ्य अस्वीकार है।
2. पैरा 2 का जबाव इस प्रकार है– पैरा एक के अनुसार चूँकि शांति पत्नी लच्छीराम को माननीय ए.डी.जे. न्यायायल द्वारा बाईज्जत बरी कर दिया है अतः अपने पति की सम्पति की वह स्वयं व उसकी पुत्री सीता उत्तराधिकारणी है। नैनी स्व. लच्छीराम उर्फ लक्ष्मणराम की माँ नहीं है। लिछमण की माँ का स्वर्गवास होने पर उसके पिता ने नैनी से नाता किया था। अतः लिछमणराम की उत्तराधिकारी उसकी पिता की दूसरी पत्नी नही हो सकती। लिछमणराम के उत्तराधिकारी उसकी पत्नी शांति व पुत्री सीता है। इसके अलावा उसका कोई उत्तराधिकारी नही है। इस पैरा के अन्य तथ्य अस्वीकार है।
3. पैरा तीन का जबाव इस प्रकार है– शांति ही उस समय सीता की संरक्षिका थी जब तक उसकी पुत्री सीता नाबालिग थी। अतः यह दोनों लिछमणराम उर्फ लच्छीराम के उत्तराधिकारी है। इस पैरा में अन्य तथ्य अस्वीकार है।

4. पैरा चार का जबाव इस प्रकार है– नैनी का पैरा सं. 4 की भूमि पर न कभी कब्जा काश्त था न ही कोई अधिकार था एवं न ही वर्तमान में किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त है न ही कोई हक अधिकार है। लिछमणराम की भूमि पर जब तक वह स्वयं जीवित था तब वह स्वयं काबिज था काश्त करता था तथा उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी शांति व पुत्री सीता का कब्जा काश्त था एवं तत्पश्चात वैद्य बेचाननामे से भूमि बेचान की गई उसके पश्चात क्रेता खातेदार काबिज हुए एवं काश्त करते है। ग्राम घोड़ारण के नवसृजित राजस्व ग्राम सुभाषपुरा की खातेदारी का राजस्व रेकर्ड अनुसार विवरण इस प्रकार है–

दिनांक 01.05.1986 को जरिये नामान्तरकरण सं. 107 के तीजा पुत्री मोटाराम जाट निवासी घोड़ारण के खाते की ख.न. 18 रकबा 58–02 बीघा भूमि तीजा के दोहितो नेनूराम, लिछमण कौम जाट निवासी घोड़ारण के नाम दर्ज हुई। तीजा की एक मात्र उत्तराधिकारी उसकी पुत्री अर्थात नेनूराम, लिछमणराम की मां का स्वर्गवास तीजा के स्वर्गवास से पहले हो चुका था। अतः उसकी संतानों अर्थात पुत्री के पुत्रो के नाम भूमि दर्ज हो गई एवं लिछमणराम के स्वर्गवासी होने पर माननीय न्यायालय हाजा के निर्णयानुसार लिछमणराम की पुत्री सीता व पत्नी शांति के नाम खातेदारी 1/2 हिस्से की हुई। मुझ प्रतिवादीनी मूली ने उक्त भूमि का 1/2 हिस्सा अर्थात शांति व सीता का सम्पूर्ण हिस्सा जरिये बेचान दस्तावेज दिनांक 16.08.2005 पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 540 पृष्ठ सं. 127 क्र.स. 2005003535 के क्रय किया एवं जिसका ग्राम सुभाषपुरा का ना क्र.स. 24 भरा जाकर 20.08.2005 को स्वीकृत हुआ। वर्तमान में राजस्व रेकर्ड की स्थिति निम्न प्रकार है–

क्र.स.	नाम ग्राम	ख.न.	रकबा	किस्म	खातेदार
1.	सुभाषपुरा	18	58–02	बा. 2	नैनी पत्नी कालूराम, नेनूराम पुत्र कालू 1/2 सा. देह, मूली पत्नी बालूराम 1/2 कौम जाट नि. ऊँटठवालिया खातेदार

ख.न. 18 के 1/2 भाग में अर्थात 29–01 बीघा भूमि पर बेचान दस्तावेज अनुसार मैं काबिज हूँ, काश्त करती हूँ एवं राजस्व रेकर्ड में खातेदार दर्ज हूँ। इस प्रकार मैं प्रतिवादी रेकर्डेड खातेदार हूँ यहाँ यह भी तथ्य है कि शेष 1/2 भाग का बेचान नेनूराम द्वारा, भागीरथराम पुत्र चेनाराम जाट निवासी श्यामसर को किया जा चुका था।

ख.न. 1 रकबा 4–04 बीघा ख.नं. 3 रकबा 2–12 बीघा व खं.नं. 5 रकबा 30–16 बीघा कुल 37–12 बीघा सरहद बीरमसर की भूमि दिनांक 25.03.77 से पहले तीजा पत्नी हरूराम जाट निवासी घोड़ारण की खातेदारी में थी जिससे लिछमणराम ने क्रय कर ली एवं जिसका नामान्तरकरण सं. 46

भरा गया। अंतिम रूप में नामान्तरकरण 145 से माननीय न्यायालय हाजा के आदेशानुसार दिनांक 26.05.2005 को पूरा खाता नैनी पत्नी कालूराम, नेनूराम पुत्र कालूराम 1/2 मु. सीता पुत्री लिछमणराम व शांति पत्नी लिछमणराम 1/2 के नाम हुई। तब मुझ मुली पत्नी बालूराम के द्वारा नामान्तरकरण सं. 157 अनुसार शांति पत्नी लिछमणराम व सीता पुत्री लिछमणराम से इन खसरा नंबरों की उनकी 1/2 अर्थात उनकी सम्पूर्ण भूमि क्रय करने पर मेरे नाम खातेदारी दर्ज हुई एवं मैनें उक्त सम्पूर्ण भूमि बरजूदेवी पत्नी नेनूराम जाट निवासी बीरमसर को बेचान कर दी। उक्त सम्पूर्ण भूमि बीरमसर सरहद की रकबा 37–12 बीघा पूर्व में लिछमणराम के नाम थी जिसमें से 1/2 भाग में खरीददार वरजूदेवी पत्नी नेनूराम जाट को बेच चुकी है एवं शेष 1/2 भाग लिछमणराम के उत्तराधिकारी उनकी पत्नी शांति व पुत्री सीता की बनती है एवं उन्हीं का कब्जा काश्त है। अतः उक्त बीरमसर की 37–12 बीघा भूमि 1/2 भाग बरजूदेवी पत्नी नेनूराम व 1/2 भाग शांति पत्नी लिछमण व सीता पुत्री लिछमण का है।

5. पैरा नं. 5 का जबाव इस प्रकार है कि यह बिन्दु कानूनी है। जिसके जबाव की आवश्यकता नही है।
6. पैरा नं. 6 का जबाव इस प्रकार है कि वाद के पैरा नं. 6 में दर्ज कथनानुसार कोई बिनाय वाद वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध कभी पैदा नही हुआ। इसलिए यह दावा बिनाय वाद के अभाव में खारिज योग्य है।
7. पैरा का जबाव इस प्रकार है कि वाद का पैरा 7 कार्ट फीस का है जो काबिल गौर अदालत है।
8. पैरा नं. 8 का जबाव इस प्रकार है कि वादी के पैरा नं. 8 के गलत होने से अस्वीकार है। वाद के पैरा नं. 8 में चाही गई दादरसी में से एक भी वादीगण को मुझ प्रतिवादीनी के विरूद्ध पाने का अधिकारी नही है।

अतः जबाव दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद सव्यय निरस्त फरमाया जावें।

काऊन्टर क्लेम

कि खेत ख.न. 18 रकबा 58–02 बीघा सरहद मौजा सुभाषपुरा की खातेदारी पूर्व में तीजा पुत्री मोटाराम जाट निवासी घोड़ारण के नाम थ। तीजा के फौत होने पर फौतेदंगी नामान्तरकरण सं. 107 दिनांक 01.05.86 के द्वारा उसके वारिसान पुत्री के पुत्रों (दोहितों) नेनूराम, लिछमणराम पि. कालूराम कौम जाट निवासी घोड़ारण के नाम हुई। तत्पश्चात अन्ततः माननीय न्यायालय हाजा के वाद सं. 16/91 के निर्णय दिनांक 26.02.2004 के द्वारा इस खसरे की खातेदारी नैनी पत्नी कालूराम, नेनूराम पुत्र कालूराम 1/2 मु. सीता पुत्री लिछमण मु. शांति पत्नी लिछमण सा. देह के नाम दर्ज हुई। सीता पुत्री लिछमण, शांति पत्नी लिछमण द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा मुझ मूली पत्नी बालूराम कौम जाट निवासी ऊँटवालिया को जरिये बेचान दस्तावेज पुश्तक स. 1 जिल्द सं. 540 पृष्ठ सं. 127 क्र.स. 2005003535 दिनांक 16.08.2005 को बेचान कर दिया जिसका सुभाषपुरा में नामान्तरकरण सं. 24 भग जाकर

स्वीकृत हो चुका है एवं मैं उक्त भूमि पर काबिज हूँ एवं लगातार काश्त करती आ रही हूँ।

इसी प्रकार ग्राम बीरमसर के ख.न. 1 रकबा 4–04 बीघा, ख.न. 3 रकबा 2–12 बीघा, ख.न. 5 रकबा 30–16 बीघा कुल रकबा 37–12 बीघा जो दिनांक 25.03.1977 से पहले तीजा पुत्री हरूराम जाट सा. घोड़ारण के खातेदारी में थी जिसे लिछमणराम ने क्रय कर ली एवं जिसका नामान्तरकरण सं. 46 भरा गया। अंतिम रूप से ना.क.स. 145 माननीय न्यायालय हाजा के आदेशानुसार दिनांक 26.05.2005 को पूरा खाता नेनू पत्नी कालूराम, नेनूराम पुत्र कालूराम 1/2 सीता पुत्री लिछमणराम व शांति पत्नी लिछमणराम 1/2 सा. देह के नाम हुई एवं मुझ मूली पत्नी बालूराम ने उक्त में से सीता पुत्री लिछमणराम व शांति पत्नी लिछमणराम की सम्पूर्ण अर्थात कुल रकबा 37–12 बीघा की 1/2 भूमि क्रय कर ली एवं मैनें उक्त भूमि बरजूदेवी पत्नी नेनूराम जाट सा. बीरमसर को बेचान कर दी। उक्त भूमि जरिये ना.क.स. 157 दिनांक 20.08.2005 के अनुसार मेरे नाम हुई एवं ना.कस. 173 दिनांक 20.07.06 के द्वारा बरजू देवी पत्नी नेनूराम कौम जाट सा.देह के नाम हुई।

इस भूमि में 1/2 भाग में नैनी पत्नी कालूराम व नेनूराम पुत्र कालूराम का नाम आया व हिन्दु उत्तराधिकार विधि अनुसार विधि सम्मत नही है। लिछमणराम के उत्तराधिकारी उसकी पत्नी शांति व पुत्री सीता है जिन्होंने 1/2 भाग मुझे बेच दिया एवं मैंने उक्त 1/2 भाग बरजूदेवी को बेच दिया अतः उक्त भूमि की खातेदारी अब निम्नानुसार दर्ज हेतु क्लेम पेश है–

ग्राम	ख.न.	रकबा	खातेदार
बीरमसर	1	4–04	बरजूदेवी पत्नी नेनूराम 1/2
	3	2–12	शांति पत्नी लिछमणराम व
	5	30–16	सीता पुत्री लिछमणराम 1/2
	योग	37–12	सा.देह खातेदार

अतः ग्राम घोड़ारण के नव सृचित ग्राम सुभाषपुरा के ख.न. 18 रकबा 58–02 बीघा की 1/2 हिस्सा रकबा 29–01 बीघा दक्षिणी हिस्सा जरिये पंजीयन बेचान के जायज वारिस व रेकर्डेड खातेदारान से क्रय किये जाने मुफ मूली पत्नी कालूराम जाट निवासी ऊँटबालिया के नाम खातेदारी घोषित की जावे तथा जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के वादीगण को मेरे कब्जा काश्त व उपयोग में दखलदांजी करने व अन्यों से कराने से हमेशा के लिए रोका जावें तथा मेरा खाता राजस्व रेकर्ड में अलग कायम कर दर्ज किया जावें।

इसी प्रकार ग्राम बीरमसर के ख.न. 1, 3, 5 कुल 37–12 बीघा की खातेदारी बरजूदेवी पत्नी नेनूराम 1/2 शांति पत्नी लिछमणराम सीता पुत्री लिछमणराम 1/2 कौम जाट सा.देह के नाम खातेदारी घोषित की जावें।

कि काऊन्टर क्लेम के लिए कोर्ट फीस वास्ते घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा दुरूस्ती रेकर्ड एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु एक रूपये के हिसाब से चार रूपये का कार्ट फीस पेश है।

कि प्रतिवादीनी का काऊन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर डिक्री साबिर फरमाई जावें–

1. ग्राम सुभाषपुरा के ख.न. 18 रकबा 58–02 बीघा में से 1/2 दक्षिणी हिस्सा मुझ प्रतिवादिनी मूली पत्नी कालूराम जाट निवासी ऊँटवालिया के नाम खातेदारी की घोषणा की जावें।
2. यह है कि बीरमसर के ख.न. 1 रकबा 4–04 बीघा, ख.न. 3 रकबा 2–12 बीघा, ख.न. 5 रकबा 30–16 बीघा कुल रकबा 37–12 बीघा की खातेदारी बरजूदेवी पत्नी नेनूराम 1/2 व सीता पुत्री लिछमण, शांति पत्नी लिछमण 1/2 कौम जाट सा.देह के नाम खातेदारी की घोषणा की जावें।
3. यह है कि उक्त घोषणा अनुसार तमाम राजस्व रेकार्ड अधिकार अभिलेखों अमल दरामद कराया जा कर खाता व देय लगान अलग–अलग कायम की जावें।
4. यह है कि जरिये स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण को मुझ प्रतिवादिनी की खरीदसुदा कब्जसुदा हक अधिकार की भूमि में वादीगण को किसी प्रकार से दखलदाजी करने व अन्य से कराने से हमेशा के लिए जरिये निषेधाज्ञा रोका जावें।
5. अन्य दादरसी जो भी लाभार्थ मुक्त प्रतिवादिनी है वह भी सादिर फरमाई जावें।

8. वादिनी नेनी पत्नी कालूराम की ओर से प्रतिवादी भागीरथ के काऊन्टर क्लेम का निम्न जबाव दिनांक 29.06.09 को पेश किया गयाः–

1. यह है कि प्रतिवादी सं. 4 भागीरथ ने दौराने दावा प्रतिवादी सं. 1 नेनूराम से अपने हक में दिनांक 26.05.1999 को खेत ख.न. 18 रकबा 58–02 बीघा वाके मौजा सुभाषपुरा (घोड़ारण) अपने हिस्से की भूमि बताते हुए विक्रय पत्र निष्पादित करवाया था। उक्त विक्रय पत्र की पालना में न तो प्रतिवादी सं. 4 भागीरथ का वादग्रस्त भूमि के उत्तर की तरफ के आधे हिस्से का कब्जा प्राप्त हुआ न ही खरीददार भागीरथ के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ। इसलिए काऊन्टर क्लेम का पैरा नं. 1 सही नहीं होने से अस्वीकार है। प्रतिवादी भागीरथ का यह कथन मिथ्या है कि प्रतिवादी नेनुराम के स्थगन पर प्रतिवादी भागीरथ के नाम म्यूटेशन स्वीकार हो कर खतौनी में अमल दरामद हो गया और उसे वादगस्त भूमि के आधे हिस्से का कब्जा प्राप्त हो गया। क्योंकि प्रतिवादी सं. 4 भागीरथ ने वादग्रस्त ख.न. 18 के संबंध में राजस्व वाद विचाराधीन होना जानते हुए अपने हक में पोषीदा विकय पत्र निष्पादित करवाया है इसलिए विधि अनुसार उक्त विक्रय पत्र अवैध व शून्य है और इस विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी सं. 4 को वादग्रस्त भूमि में न ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो सकते न ही काऊन्टर क्लेम पेश करने का अधिकार है।
2. कि काऊन्टर क्लेम का पैरा नं. 2 गलत होने से अस्वीकार है। वादग्रस्त ख.न. 18 में प्रतिवादी सं. 4 का कोई हक व अधिकार नही है और न ही अवैध विक्रय के आधार पर उसे वादग्रस्त भूमि में सहखातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है। प्रतिवादी सं. 4 न तो वादग्रस्त भूमि का सहखातेदार है और न ही वादग्रस्त भूमि का विभाजन करवाने का अधिकारी है।
3. कि काऊन्टर क्लेम का पैरा नं. 3 कानूनी है।

4. कि काऊन्टर क्लेम का पैरा नं. 4 गलत होने से अस्वीकार है। प्रतिवादी सं. 4 भागीरथ ने मुझे प्रतिवादी के विरूद्ध कोई वाद कारण पैदा नही हुआ।
मजीद एतराज

5. कि इस वाद में दिनांक 24.08.1995 को प्रतिवादी सं.1 नेनूराम ने जंबाव दावा प्रस्तुत कर दिया था और प्रतिवादी सं. 4 भागीरथ ने नेनूराम का हिस्सा दिनांक 26.05.1999 को खरीदना बताते हुए पक्षकार बनाने का आवेदन पेश किया था और उसे नेनूराम के स्थान पर पक्षकार बनाया गया था इसलिए प्रतिवादी सं. 4 भागीरथ को न तो पुनः जबाव पेश करने का अधिकार है और न ही जबाव दावे के साथ काऊन्टर क्लेम पेश करने का अधिकारी है। आदेश 22 नियम 10 सी.पी.सी. के आधार पर हस्तांतरण के आधार पर पक्षकार बनने वाले व्यक्ति को केवल मुकदमे की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है क्यों कि वह हस्तांतरणकर्ता की ओर से पक्षकार बनता है। इसलिए प्रतिवादी सं. 4 को जबाव दावा व काऊन्टर क्लेम पेश करने का विधि के अनुसार अधिकार नहीं है।

अतः जबाव पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी सं. 4 का काऊन्टर क्लेम सन्धार्य नहीं होने से खारिज फरमाया जावें।

9. मूली की ओर से प्रस्तुत काऊन्टर क्लेम का जबाव वादी संख्या 1 की ओर निम्नानुसार दिनांक 04.07.2014 को पेश किया गया–

1. यह है कि काऊन्टर क्लेम का पैरा सं. 1 सही नही है। यह सही है कि ख.न. 18 रकबा 58–02 बीघा वाके मौजा सुभाषपुरा तीजा पुत्री मोटाराम की खातेदारी थी और तीजा के देहांत के बाद उपरोक्त भूमि के खातेदार वादी नैनी, तीजा की एक मात्र पुत्री व उत्तराधिकारी होने के अधार पर हुई। नेनूराम व लिछमणराम वादी के पुत्र है जिसमें से लिछमणराम का कत्ल उसकी पत्नी शांति ने कर दिया। इसलिए मु. शांति को लिछमणराम की सम्पति उत्तराधिकार में प्राप्त करने की अधिकारी नहीं रही। इसलिए माननीय न्यायालय द्वारा वाद सं. 16/1991 में दिये गये निर्णय दिनांक 26.02.2004 के द्वारा शांति पत्नी लिछमणराम को खातेदार गलत घोषित किया गया था। माननीय न्यायालय का उपरोक्त निर्णय राजस्व अपील अधिकारी नागौर ने निरस्त कर दिया। दौराने दावा सीता पुत्री लिछमणराम व शांति को वादग्रस्त भूमि के किसी भू–भाग का विक्रय मु. मूली के हक में करने का कोई हक व अधिकार नही था इसलिए प्रतिवादी सं. 5 मूली के हक में किया गया कथित विक्रय पत्र अवैध व शून्य है। ग्राम बीरमसर के ख.न. 1 रकबा 4–04 बीघा, ख.न. 3 रकबा 2–12 बीघा व ख.न. 5 रकबा 30–16 बीघा वादी सं. 1 नैनी की माता तीजा की खातेदारी व कब्जे काश्त का था और मु. तीजा ही एक मात्र उत्तराधिकारी वादी सं. 1 नैनी है तथा अपने पुत्र स्व लिछमणराम की उत्तराधिकारी उसकी माता होने से वादी नैनी है इसलिए लिछमण की भूमि को बेचने का अधिकार सीता व शांति को नही था। इसलिए उनके द्वारा मु. मूली के हक में किया गया बेचाननामा अवैध व शून्य है और उसके पश्चात मूली द्वारा उपरोक्त भूमि बरजूदेवी पत्नी नेनूराम जाट सा. बीरमसर के हक में किया गया बेचानरामा भी अवैध है। ये सारे कागजी बेचान है और क्रेता को

प्रतिफल की राशि अदा नहीं की है। अतः उपरोक्त बेचाननामे के आधार पर मु. मूली को हक व अधिकार प्राप्त नही हुआ न ही कब्जा प्राप्त हुआ।

2. यह है कि काऊन्टर क्लेम का पैरा सं. 2 गलत होने से अस्वीकार है। प्रतिवादी मूली को उपरोक्त अवैध व शून्य विक्रय पत्रों के आधार पर वादग्रस्त भूमि का कब्जा भी प्राप्त नहीं हुआ है और न हो दौराने दावा वादग्रस्त भूमि के किसी हिस्से को बैचान करने का अधिकारी सीता व शांति को था। वादी नैनी कालूराम की वैद्य पत्नी है और मु. तीजा की एक मात्र पुत्री है और अपने स्व. लिछमणराम की विधिक उत्तराधिकारी है इसलिए वादग्रस्त भूमि की खातेदार है। प्रतिवादी मूली को वादग्रस्त भूमि के संबंध में काऊन्टर क्लेम पेश करने का अधिकार नही है।
3. यह है कि काऊन्टर क्लेम का पैरा सं. 3 कानूनी है।
4. यह है कि काऊन्टर क्लेम का पैरा सं. 4 गलत होने से अस्वीकार है। मु. मूली वादी सं. 1 नैनी के विरूद्ध किसी भी प्रकार का अंतरिम अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। प्रतिवादी मूली का काऊन्टर क्लेम खारिज होने योग्य है।

अतः जबाव पेश कर निवेदन है कि मु. मूली का काऊन्टर क्लेम खारिज फरमावे।

10. दावा व जबाव दावा, प्रतिदावा व जबाव के अधार पर दिनांक 10.03.2015 को निम्नानुसार तन्कीयात कायम की गई:–

1. आया ग्राम बीरमसर के खेत ख.न. 1 रकबा 4–04 बीघा, ख.न. 3 रकबा 2–12 बीघा व ख.न. 5 रकबा 30–16 बीघा एवं ख.न. 18 रकबा 58–02 बीघा में से आधा मृतक लच्छीराम उर्फ लिछमणराम की खातेदारी के वादीगण एक मात्र वारिस होने के कारण खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी सं. 2 हत्या की आरोपी होने के कारण उत्तराधिकारी नही है

—— जिम्मे वादी

2. आया वादग्रस्त खेत के वादी सं. 2 व प्रतिवादी सं. 2 मृतक लिछमणराम की पुत्री व पत्नी होने के आधार पर एक मात्र वारिसान है। वादी सं. 1 मृतक की माता न होकर विमाता होने के आधार पर उत्तराधिकारी नही है

—— जिम्मे प्रतिवादी सं.2

3. आया वादग्रस्त ख.न. 18 की आधी हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 से क्रय कर काबिज होने के आधार पर प्रतिवादी सं. 4 खातेदारी की घोषणा व विभाजन का हकदार है

—— जिम्मे प्रतिवादी सं.4

4. आया वादग्रस्त ख.न. 1, 3, 5 व 18 के वादी सं. 2 व प्रतिवादी सं. 2 का आधा हिस्सा होने के आधार पर इनसे जरिये विक्रय–पत्र भूमि क्रय करने के आधार पर प्रतिवादी सं. 5 खातेदारी की घोषणा एवं खाता विभाजन के हकदार है

—— जिम्मे प्रतिवादी सं.5

(11) 1. दिनांक 18.09.15 को वादी नैनी पत्नी कालूराम ने अपना शपथ–पत्र गवाह पेश किया तथा दिनांक 21.12.2015 को उपस्थित होकर बयान दर्ज

कराये कि गवाह ने शपथ–पत्र स्वयं द्वारा पेश करना व उसमें लिखी बातें सत्य व सही होना तथा उस पर स्वयं के अंगूठा निशानी होना स्वीकार किया। ख.न. 18 की खतौनी सम्वत 2042–45 प्रदर्श–1 है ख.न. 1, 3, 5 की खतौनी नकल प्रदर्श प्रदर्श–2 है ख.न. 18 की खतौनी नकल 2043–46 प्रदर्श–3 है, प्रमाणित प्रतिलिपि एफ.आई.आर. प्रदर्श–4 है, चार्जशीट की प्रमाणित प्रतिलितियां प्रदर्श–5 है, नामान्तरकरण सं. 24 ख.न. 18 का प्रदर्श–6 है खतौनी सम्वत 2063–66 ख.न. 18 की प्रदर्श–7 है, खतौनी सम्वत 2063–66 प्रदर्श–8 है, खतौनी सम्वत 2059–62 प्रदर्श–9 है।

जिरह द्वारा वकील प्रतिवादी सं. 1 नेनू व लिछमण दोनों ही मेरे जायन्दा पुत्र नही है। यह दोनों कालू की पहली पत्नी के है। कालूराम की पहली पत्नी गुजर जाने के बाद मैं कालूराम के नाते गई। कालूराम के साथ मेरे फेरे नहीं हुए। अजखुद कहां कि मैं पत्नी हूँ। ख.न. 1, 2, 3, व 18 तीजा के थे। तीजा नेनू व लिछमण की नानी थी। यह कहना सही है कि मेरी जिन्दगी में लिछमण ने ख.न. 1, 2, 3 व 18 अपने नाम नहीं करवायें। यह कहना सही है कि ख.न. 1, 2, 3 व 18 मेरी माता तीजा ने लिछमण को बख्शीश कर दिये थे और यह भी सही है कि मेरी माता तीजा ने बैचान कर दिया और कब्जा सौंप दिया। लिछमण को किसने मारा मैंने नही देखा था। लिछमण की मृत्यु की रिपोर्ट नेनूराम द्वारा की गई। अदालत ने इस मुकदम्मे से शांति को बरी कर दिया इस मुकदम्मे में मेरे व नेनूराम के बयान हुए थे। यह कहना गलत है कि लिछमण का कत्ल शांति ने नहीं किया हो। शांति ने लिछमण की हत्या कर दी यह करने का मेरे पास कोई आधार नहीं है। मुझे यह भी किसी ने नहीं कहा कि लिछमण को मैंने मार दिया। मैं अभी घोड़ारण में ही रहती हूँ। मेरी घोड़ारण के आथूणी तरफ खेत में ढाणी बनाई हुई है उसमें आज मैं रहती हूँ वो बच्चो के नाम दर्ज है मेरे नाम दर्ज नही है वाद ग्रस्त चारों खेतों पर कब्जा मेरा नही है बल्कि मेरा भी है। लिछमण के कोई लड़की नही है शांति ने ईनाणा नाताकर लिया। यह कहना गलत है कि मेरा वादग्रस्त ख.न. पर कब्जा नही हो और मैंने गलत दावा किया हो। जिरह रिजर्व रखी गई।

दिनांक 10.03.2016 पुनः शपथ दिलाई गई। जिरह वकील प्रतिवादी भागीरथराम। मैं कालूजी के किस साल नाते आई याद नही है। स्वतः कहा कि नाते आज थोड़े ही आई। मेरे पिता का नाम भूणाराम है मेरी गोत्र गोदारा जाट है मेरा पीहर घोड़ारण है। मुझे पता नही कि मै सम्वत 2022 में नाते आई थी। तीजा पुत्री मोटाराम की गोत्र जांदू जाट थी। तीजा का पीहर घोड़ारण था। तीजा पुत्री मोटाराम पत्नी हरूराम का ससुराल बीरमसर में था। हरूराम का गोत्र तरड़ जाट था। तीजा पत्नी हरूराम के अपने पिता मोटाराम के इकलोती पुत्री थी। यह कहना गलत है कि तीजा के नेनू व लिछमण जन्मे हो बल्कि वह नानी थी यह दोनों बली के लड़के है। जो तीजा की बेटी है। बली कालूराम की पत्नी थी। नेनू व लिछमण बली के लड़के है। बली के मरने के बाद मैं बली के पति कालूराम के नाते आई हूँ। बली सम्वत 2014 में फौत हो गई। मेरे सगे भाई सुरजाराम व भागूराम है। गुली मेरी बहन है जिसका सुसराल जसरासर है जो जिला बीकानेर में है। कालूराम की मृत्यु

सन् 1984 में हुई थी। यह बात सही है कि मेरे जायंदा चार पुत्र है सावता, रामेश्वर, लालू, कुशलाराम है। यह कहना गलत है कि नेनू व लिछमण 12–10 वर्ष के हो। बल्कि बड़े थे जब मै नाते आई तब। यह कहना गलत है कि मेरे नाम 80 बीघा भूमि हो कालूजी के मरने के बाद मेरे चारों पुत्रों के नाम म्यूटेशन भर दिया। मेरा नाम का म्यूटेशन नही भरा। मैं बली की जगह कालूजी के नाते आने से तीजा को माता कहती हूँ। तीजा मेरी सगी माता नही है प्रतिवादी भागीरथ वादग्रस्त खेत में फसल नुकसान को लेकर मेरे पुत्रों सावताराम वगैरा पर किया था जिसमें मेरे पुत्रों का चालान हुआ था उसके अभी पेशिया पड़ती है। भागीरथ मास्टर के काश्त के खेत के दखणा दी तरफ मूली पत्नी बालूराम काश्त करती है। उसके खेत के पास में आम रास्ता है। पहले ये खेत घोड़रण में आते थे अब यह नये राजस्व ग्राम सुभाषपुरा में आता है। भागीरथराम व मूली के खेतों के बीच में आगूण आथूण सींव है। लिछमण की पुत्री सीता अभी 20 वर्ष की है। लिछमण की मृत्यु हुई तब सीता आठ माह की थी। सीता की मां का नाम शांति था। नेनूराम ने अपना हिस्सा भागीरथ को बेच दिया। तीजा के जीवन काल में गांव की कोई नकली औरत तीजा बन कर वादग्रस्त खेत को हिम्मताराम व उजीणाराम को बेच दिया था। यह बात सही है कि वापस मुकदम्मा होने पर उजीणाराम ने अपने हिस्से की रजिस्ट्री नेनूराम को करवाई व हिम्मताराम ने अपने हिस्से की रजिस्ट्री लिछमणराम को कराई। नेनूराम प्रतिवादी की पत्नी का नाम बरजू है। नेनूराम की मां का नाम बली है। नेनू की अभी उम्र 60 वर्ष है जो अभी जीवित है। शांति हाई कोर्ट से बरी हो गई अजखुद फिर कहा कि मुकदम्मा हाई कोर्ट में चल रहा है। खेत अभी खाली है तथा खेत में कोई काश्त की हुई नहीं है। भागीरथराम को नेनूराम द्वारा वादग्रस्त खेत का बेचान करने से पहले 08–10 वर्ष पूर्व नेनूराम व लिछमणराम अलग–अलग हो गये तथा अलग–अलग ढाणियों में रहने लग गये थे। जिरह द्वारा वकील प्रतिवादी मूली व शांति। शांति व सीता ने विवादग्रस्त खेत की रजिस्ट्री मूली को कराई होती मुझे पता नही है। मेरे दादा का नाम जीयाराम था।

(11) 2. दिनांक 07.04.16 को वादी के गवाह हमीरा राम पुत्र नेनूराम नायक ने शपथ–पत्र पेश किया तथा उपस्थित होकर बयान दर्ज करवाये दिनांक 07.04.16 शपथ दिलाई गई। नोट– गवाह ने मुख्य परीक्षण में शपथ–पत्र पेश करना, उसमें लिखी बाते सत्य व सही होना तथा उस पर स्वयं के अंगूठा निशानी होना स्वीकार किया। जिरह द्वारा वकील प्रतिवादी भगवानराम सारस्वत – "मेरी जन्मतिथि का मुझे पता नहीं है। मेरा 2011 का जन्म है। माह तिथि का मुझे पता नही है। मेरे दो खेत है। मेरे खुद के खतों के ख.न. व रकबा मुझे पता नहीं है। मेरा एक खेत मुण्डासर व रोहिणी की कांकड़ में है। यह बात सही है कि मेरे खुद के खेतों के पड़ौसियों के ख.न. व रकबा पता नहीं है। मुझे घोड़ारण, सुभाषपुरा व किसी भी गांव व किसी भी खेत के ख.न. व रकबे का पता नहीं है। यह जो मुकदम्मा चल रहा है विवादित खेतों के ख.न. व रकबे के बारे में मुझे पता नहीं है। मुझे किसी ने अब तक विवादित खेतों के ख.न. व रकबा नहीं बताया है, इसलिए मुझे पता नही है।

शपथ–पत्र में उल्लेखित ख.न. मैंने नहीं बताये है। मुझे पता नहीं वकील साहब ने ही लिखवाये है। जमीन में सातों धान निपजे है। घास भी बोते है। चन्दलाई निनाण में होती है। मैं ग्राम घोड़ारण का रहने वाला हूँ। घोड़ारण में दो पीढियों से रहता हूँ। नैनी घोड़ारण में ही रहती है। नैनी का सुसराल व पीहर एक ही गांव में है। नैनी का बाप भी घोड़ारण का ही था। नेनूराम को जानता हूँ परन्तु उसके खेतों के ख.न. नही जानता हूँ। नैनी के खेतों में किसी को काम करते हुए दूसरे व्यक्तियों को नहीं देखा है। विवादित खेतों के कागजात मैंने नहीं देखें। नैनी मुझे कल मिली थी। नैनी ने मुझे गवाही देने का कहा। अजखुद कहा कि मैंने जो आंखों से देखा है वो ही कहूँगा। मेरे साथ 20–25 का किसी को मजदूरी के लिए ले जाता हूँ। कब–कब कौन–कौन से मजदूरों को लेकर किस किस वर्ष गया मुझे पता नहीं। नैनी के घर से मेरा घर एक कोस दूर है, जो 3 किमी की दूरी पर है। मैं नैनी के शामिल ही रहता हूँ 24 घंटे। मेरा परिचय –पत्र में नाम हमीरा राम है। मेरे दो बच्चे व चार बच्चिया है। मेरे बच्चों बच्चियों की अलग–अलग जन्म तिथियों की जानकारी नही है। मैं अनपढ़ आदमी हूँ। चार छह माह बाद बाते भूल जाता हूँ। शपथ–पत्र मुझे वकील साहब ने ही सुनवाया। मुझे ख.न. याद नही थे इसलिए मैंने ख.न. व रकबा नहीं लिखवाया। यह गलत है कि मैं नैनी के कहने और मेरी उनसे मुलाकात होने से झूठा बयान देने आया हूँ।

जिरह द्वारा प्रतिवादी वकील गंगासिंह "लिछमणराम नेनूराम नैनी के लड़के है, जो साथ ही रहते है। जो साथ ही खेती करते थे। वादग्रस्त खेतों में 20 वर्ष पूर्व सबसे पहले मजदूरी करने गया। उस वक्त नैनी ने मजदूरी के लिए बुलाया। उस वक्त लिछमणराम व नेनूराम भी उसी वादग्रस्त खेत में थे। तीजा जो नैनी की मां थी। तीजा के नाम घोड़ारण व बीरमसर में जमीन थी जिसमें अपने दोहितों के नाम रजिस्ट्री करवा दी। खतौनी में नाम नेनूराम का है। विवाद किस बात का हुआ और दावा किया इसका मुझे पता नही है। लिछमणराम व नेनूराम, नेनी को कभी भी खेत उनके शामिल होने से मना नहीं किया। जिरह वकील प्रतिवादी डूंगरराम– "यह सही है कि जिस खेत में मैं काम कराने गया उस समय सांवताराम, लालूराम व दूसरे बेटों के नाम याद नहीं नाम चढ़े हुए है। मेरे गवाही देने के न्यायालय की ओर भी 2–4 बार काम पड़े है। पुराने समय में एक दो मुकदम्मे मेरे खिलाफ चले। मेरे जो मुकदम्मा चल रहा है उसकी पैरवी भगवानसिंह राठौड़ करते है जो श्रीबालाजी पुलिस थाने में चालान हुए है। यह कहना गलत है कि मेरे खिलाफ जो मुकदम्मा चल रहा है वो शिकार हो बल्कि लड़ाई झगड़े के है। यह कहना गलत है कि मेरे दारू के मुकदम्मे में चालान हुए है फिर कभी–कभी पी लेते है ठेके के पीछे हो कर निकलता हूँ। मैं खेत के मालिक भागीरथराम मास्टर को जानता हूँ। नैनी के बेटों का भागीरथराम मास्टर द्वारा नैनी के बेटों का चालान हुआ तो मुझे पता नहीं है। मैं बालूराम मास्टर मूली के पति को जानता हूँ। ये मास्टर कहां फिरते रहे मुझे पता नही। रूले दिन रात फिरते है। यह खेत किस काकड़ में आया हुआ है मुझे पता नहीं हैं। खेत के उतरादी साइड में मार्ग है। नैनी कालूजी के नाते 60 वर्ष पूर्व आई थी। मैं

नैनी के नाते में जीमने नही गया। नैनी के पिता का नाम मुहणाराम है जो मेरे गांव के है। नैनी के पिता गोदारा गोत्र के जाट है। मुहणाराम की ढ़ाणी से मेरी ढ़ाणी 1.5 किमी दूर है। नैनी नाते आई तब नेनूराम 12–13 वर्ष व लिछमणराम 10 वर्ष का था। तीजा की गोत्र जांदू जाट है तीजा, मोटाराम की बेटी थी, जो हरूराम जाट के परनाई हुई थी। तीजा का सुसराल बीरमसर में था। हरूराम का गोत्र तरड़ जाट था। तीजा अपने मोटाराम की इकलौती पुत्री थी। तीजा नेनूराम व लिछमणराम की नानी थी। लिछमणराम व नेनूराम की कुदरती माता का नाम बली था। बली तीजा की पुत्री थी। नेनी के कालूराम के नाते जाने से पहले बली कालूराम को परनायी हुई थी। बली के मरने के बाद कालूराम नैनी को नाते लाई। नैनी नाते आई तब नेनूराम व लिछमणराम मौजूद थे। बली मरी तब मैं जीमने नही गया क्योंकि मैं दूर रहता था। यह बात सही है कि नैनी के पेट से जन्में सांवता, लालू रामेश्वर व खुशालाराम है। इस खेत में अगूण आथूण सीवों के बंटा हुआ है। मास्टर के खेत के पास अगूण आथूण मार्ग चलता है। यह सही है कि पहले खेत घोड़ारण की कांकड़ में था अब सुभाषपुरा में है। उजीणाराम जाट मेरे गांव का है। हिम्मताराम जाट मेरे गांव का है। उजीणाराम हिम्मताराम ने नेनूराम लिछमणराम को इस खेत की रजिस्टीयां कराई हो तो मुझे पता नही है। नेनूराम लगभग मेरी उम्र का है। खेत अभी खाली है। मैं इन दिनों सेवड़ी नही गया। मैं श्रीबालाजी थाना नहीं गया। श्रीबालाजी थाने वालों को भी मैं जानता नहीं हूँ। नेनूराम ने अपना हिस्सा भागीरथ मास्टर को बेचा इसका झगड़ा है। मैं नैनी के बेटे लालूराम के साथ आया हूँ। मैं तो मेरा किराया देकर आया हूँ, मुझे अब किराया लालूराम दे देगा। लालूराम ने आज अभी तक कुछ भी नही पिलाया। यह कहना गलत है कि मैं लालू व नैनी के कहने से झूठ बोल रहा हूँ।

12. प्रतिवादी नेनूराम का शपथ–पत्र दिनांक 13.04.16 को पेश हुआ तथा दिनांक 21.04.16 को उपस्थित होकर अपने बयान निम्नानुसार दर्ज कराये गये। नोट– गवाह ने मुख्य परीक्षा में शपथ–पत्र पेश करना उसमें लिखी बाते सत्य व सही होना तथा उस पर स्वयं के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। जिरह द्वारा वकील वादी– " मैं अब बीरमसर गांव में रहता हूँ। मैं बीरमसर में 48 वर्षों से रहता हूँ। मेरे खेतों के ख.न. का मुझे ध्यान है जिसके ख.न. 18 घोड़ारण व बीरमसर की काकड़ के खेत ख.न. 1, 3, 5 है। इसके अलावा मेरे हजारों खेत है। मैं 62 वर्ष का हो गया हूँ। 63 का साल अब लगा। जन्म तिथि याद नहीं है। शांति मेरे भाई लच्छीराम की पत्नी है। हम दो भाई थे। लच्छीराम और मैं परन्तु अब एक ही मैं ही हूँ। लछी की हत्या हुई। किसने की मुझे पता नहीं। शांति पर इसका मुकदम्मा झूठा चला था। शांति का पीहर ऊँटवालिया था। नैनी मेरे विमाता है तीजा मेरी नानी है। तीजा, नैनी की माता नहीं थी। तीजा की बेटी बली है। यह कहना गलत है कि नैनी की माता ने दोनों गांव बीरमसर व घोड़ारण की वादग्रस्त जमीन बेटी व जंवाई कालूराम को दे दी हो। यह कहना गलत है कि तीजा के देहान्त के बाद कब्जा काश्त नैनी का रहा हो। यह कहना गलत है कि वादग्रस्त भूमि पर नैनी का कब्जा काश्त नही है। यह कहना गलत है कि वादग्रस्त भूमि पर नैनी का कभी भी

कब्जा नहीं रहा । यह कहना गलत है कि लिछमण की पुत्री नैनी के पास रही हो। यह कहना गलत है मैं दूसरे गांव में रहता हो और लिछमण की पुत्री सीता नैनी के पास रहती हो। यह कहना गलत है कि शांति का कब्जा काश्त भूमि पर कभी न रहा है। अज खुद कहा कि मेरा व शांति का कब्जा ही रहा है। मैंने मेरे बंट के घोड़ारण वाले खेत को भागीरथ को बेच दिया। सन् 1999 में बेचान किया था। यह कहना गलत है कि मैंने जो जमीन भागीरथ को बेची है उस पर कब्जा आज भी नैनी का हो। यह कहना गलत है मै आज झूठी गवाही देने आया हूँ।

जिरह वकील प्रतिवादी भागीरथ– यह बात सही है कि लिछमण की मृत्यु हुई उससे 7–8 वर्ष पहले हम अलग हो गये थे। वादग्रस्त खेत घोड़ारण वाला में उतरादा आधा हिस्सा मेरे बंट में था। इस मेरे 1/2 हिस्सा को मैंने प्रतिवादी भागीरथ को बेच कर रजिस्ट्री करवा दी और उसका म्यूटेशन मेरे स्थान पर भागीरथ का हो गया था। इस खेत को पहले मैं काश्त करता था और इसको बेचने के पश्चात भागीरथ काश्त करता है भागीरथ के खेत में से सांवताराम वगैरह ने फसल चुरा ली थी जिस मुकदम्में में सांवताराम वगैरह का चालान हुआ था। यह वादग्रस्त खेत मुझे व लिछमण को मेरी नानी से प्राप्त हुए थे।

13. दिनांक 13.04.16 को गवाह मूली पत्नी बालूराम ने शपथ–पत्र पेश किया तथा दिनांक 05.05.16 को उपस्थित होकर बयान दर्ज कराये। नोट– गवाह ने मुख्य परीक्षा में शपथ–पत्र पेश करना उसमें लिखी बातें सत्य व सही होना तथा उस पर अंगूठा निशानी होना स्वीकार किया। जिरह द्वारा वकील वादी – शांति व सीता को मैं जानती हूँ। शांति पर उसके पति लिछमण की हत्या का मुकदम्मा चला था। मैं लिछमण को जानती हूँ। मैंने लिछमण की हत्या करने के बारे में सुना था। सीता अभी 20–22 वर्ष की है यह सही है कि सीता जब मैंने खेत खरीदा उस समय नाबालिग थी। पूरा खेत दो कम साठ बीघा है। मैंने तीजा को कभी नही देखा तीजा किसनी बेटी थी मुझे पता नहीं। लिछमण व नेनूराम का ननिहाल कहां पर है, मुझे ध्यान नही है। नैनी का पीहर किस गांव में है, मुझे पता नहीं है। लिछमण का कत्ल कब हुआ मुझे ध्यान नहीं है। मैंने खेत 10–11 वर्ष पहले खरीदा था जो सन् 2005 में खरीदा था। महिने का मुझे पता नहीं। साख किसने डाली मुझे पता नहीं रजिस्ट्री की लिखावट हाथ से कराई थी। टाइप नही कराई थी। यह सही है कि मैंने खेत खरीदा तब इस खेत का मुकदम्मा चल रहा था। मैंने तो मुकदम्में के पक्षकार बनने का प्रार्थना–पत्र पेश नही किया। मेरे खरीद सुदा खेत के दक्षिण में हड़मानराम जांदू पश्चिम में जेठाराम सारण उतर दिशा में भागीरथराम साहू है। विक्रय पत्र में भी मैंने उक्त पड़ौस लिखवाये थे। कैलाश मेरी मासी सासु का बेटा है जिसको में जानती हूँ। शांति अंगूठा करती थी कैलाश अंगूठा नहीं करता था। रजिस्ट्री पर हस्ताक्षर किन–किन के है, मुझे पता नही है। मुझे पता नही कि विक्रय पत्र में पडौस जो मैंने आज बताये वो क्यों नही लिखे पड़ौस तो मैंने आज बताये वो शुरू से ही है। विक्रय पत्र की प्रतिफल की राशि सीता व शांति को दी थी। प्रति बीघा कीमत आठ हजार

थी या नौ हजार मुझे पता नही। यह कहना गलत है कि जब मैंने खेत खरीदा तब कब्जा नैनी का हो। मैंने एक ही विक्रय पत्र निष्पादित कराया था। दो विक्रय पत्र निष्पादित नही करवाये। मैंने 58 बीघा में से खरीदा व एक बीरमसर में खरीदा था। मुझे पता नही कि शांति को खेत खरीदने के कितने रूपये दिये। लिखापढ़ी नागौर में करवाई। कितने पेपरों पर करवाई मुझे पता नहीं। लिखापढ़ी दिन में करवाई। सुबह 10–11 बजे कराई। मैं पढ़ी लिखी नही हूँ। लिखापढ़ी कराई उस समय मेरे जान पहचान के थे लिखापढ़ी के समय मेरे गोत के ही व्यक्ति थे। लिखापढ़ी मेरे हस्ताक्षर करवाये और किसने करवाई मुझे याद नहीं। विक्रय–पत्र के रूपये कचहरी में दिये। फिर गांव गये और नागौर में रही नही गये। वकील प्रतिवादी डूंगरराम चौधरी जिरह हेतु समय चाहते है। जो रिजर्व रखी जाती है। दिनांक 16.02.21 गवाह मूली उपस्थित। शपथ दिलाई गई जिरह द्वारा वकील प्रतिवादी श्री डूंगरराम वास्ते भागीरथ–मेरा खरीद सुदा हिस्सा दक्षिण तरफ है। मेरे से उतरादा भागीरथ का। भागीरथ व मेरे खेत के बीच सींव है।

14. दिनांक 21.04.16 को भागीरथ पुत्र चैनाराम (DW-3) ने अपना शपथ पत्र पेश किया तथा दिनांक 02.02.2021 को उपस्थित हुए। नोट– गवाह को शपथ–पत्र पढाया, सुनाया व समझाया गया, जो पूर्ण रूप से सही है। जो मुझे स्वीकार है। शपथ–पत्र के तीनों पृष्ठों पर A से B कुल पांच हस्ताक्षर मेरे है। मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–1 नक्शा, प्रदर्श–2 खतौनी 2059–62 व प्रदर्श–3 सम्वत 2023–58 तथा रजि. बैचान EX-4 जिसकी फोटो प्रति EX-4 A है, EX-5 नामान्तरकरण है जो मेरे नाम से भरा गया है। प्रदर्श–6 से 8 पुलिस चालान के दस्वावेज है EX-9 म्यूटेशन ख.न. 18 ना.सं. 107 जो तिजा से नेनूराम, लिछूराम भाइयों के नाम जो फौतगी म्यूटेशन है। खतौनी EX-10 2043-46 है। EX-11 2051-54 है। खतौनी 2059-62 EX-12 है तथा म्यूटेशन EX-13 मेरे द्वारा प्रस्तुत है।

दिनांक 02.02.21 को गवाह भागीरथराम (DW-3) के बयान कलमबद्ध किये शपथ दिलाई गई। यह है कि मैंने न्यायालय हाजा में गवाह के रूप में मुख्य परीक्षण में अपना शपथ पत्र पेश किया, जिसे आज मुझे पढ़ाया व सुनाया गया। समझाया गया जो पूर्ण रूप से सही है, जो मुझे स्वीकार हैं। शपथ पत्र के तीनों पृष्ठों पर A से B कुल पांच हस्ताक्षर मेरे हैं।

जिरह द्वारा वकील वादीः– यह सही हैं कि मैं सरकारी स्कूल में अध्यापक के पद पर अभी मैं ग्राम चाऊ पदस्थापित हूँ तथा मैं सरकारी सेवा में आज से करीब 20 वर्ष पूर्व लगा था। न्यायालय में मैंने शपथ पत्र कितनी तारीख को दिया यह दिनांक मुझे याद नहीं हैं। यह शपथ–पत्र किसने टाईप किया मुझे याद नहीं। लेकिन शपथ–पत्र मैंने लिखवाया। जो मैं बोला वो ही लिखी हुई है। शपथ–पत्र श्री डूंगरजी वकील सा. ने तस्दीक किया। डूंगरजी वकील ने शपथ–पत्र अपनी ऑफिस में तस्दीक किया था। डूंगरजी वकील और मेरे हस्ताक्षर के अलावा शपथ–पत्र पर किसी अन्य के हस्ताक्षर हो तो मुझे ध्यान नहीं। यह सही है कि शपथ–पत्र को टाईप करवाकर और मेरे हस्ताक्षर करके

न्यायालय में पेश किया तब मैं हाजिर आया था। जो मैं खेत बता रहा हूँ उनका खसरा नं. 18 रकबा 58–02 हैं। यह कहना गलत है कि जिस वक्त मैंने खेत खरीदा उस वक्त बंटवाड़ा नही हो रखा हो। यह सही है कि खेत ख.न. 18 की जिस वक्त खेत मैंने खरीदा उस वक्त तरमीम नही हो रखा थी। जिस वक्त रजिस्ट्री करवाई स्टाम्प मैंने खरीदा था। दिनांक 26.05.1999 को स्टाम्प खरीदा था। उक्त रजिस्ट्री मैंने श्यामसुन्दर जोशी से लिखाई थी। गवाह ने प्रदर्श–4 रजिस्ट्री देखकर कहा की इस पर मेरे हस्ताक्षर नही है। यह कहना गलत है कि जिसं दिन रजिस्ट्री करवाई उस दिन मैं नहीं आया हो। प्रदर्श–4 स्टाम्प पर पीछे हस्ताक्षर नही हैं। दिनांक 26.05.1999 को जिस दिन रजिस्ट्री करवाई उस दिन मैं अवकाश पर था। यह कहना गलत है कि जिस दिन रजिस्ट्री करवाई उस दिन मैं नही आया हो। यह कहना गलत है कि मैंने उस खेत पर काश्त नहीं किया हो। यह कहना गलत है कि मैंने एक झुठा मुकदमा सांवताराम, लालाराम, चेनाराम, रूपाराम, सांवताराम, खेराजराम, दानाराम के खिलाफ खेत में घुसकर फसल काटकर फसल चुराने का कराया हो। यह सही है कि प्रदर्श 6 से 8 पुलिस ने जो चालन पेश किया, उसमें मुलिजमान को दिनांक 24.03.2018 को न्यायालय अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर व अनवान सरकार बनाम सांवताराम फौजदारी मूल प्र.सं.138/2008 में बरी किया है। यह सही है कि फौजदारी प्रकरण में जिस फैसल में मुलजिमान को बरी किया उस फैसल में मैंने आज तक अपील नही की। मैं ग्राम श्यामसर में रहता हूँ। उक्त वादग्रस्त खेत मेरे गांव से लगभग 15 किमी दूर है। तीजा के मृत्यु के बाद में नैनी का न तो नाम चढ़ा न ही कोई काश्त किया। यह सही है कि तीजा नानूराम की नानी थी। यह कहना गलत है कि नैनी की माता तीजा दोनों ग्राम बीरमसर व घोड़ारण की जमीन बेटी व जंवाई को दे दी हो। यह कहना गलत है कि तीजा के देहान्त के बाद कब्जा काश्त नैनी का हो। यह कहना गलत है कि लाला वगैरहा ने इस खेत में ग्वार की काश्त की हो। ग्वार की काश्त मैंने की थी। मैंने ग्वार बौने की गिरदावरी पेश नही की। 29 बीघा क्षेत्रफल में मैंने 30 किलो ग्वार एवं बाजरी दोनों साथ में बाई थी जो मैंने ट्रेक्टर से बोई थी। वादग्रस्त भूमि में नैनूराम का उत्तरी हिस्सा था। यह सही है कि नैनूराम के उत्तरी हिस्सा बंट में होने की लिखा पढ़ी मैंने पेश नही की मौके पर पहले बंट हो रखा था। बंट होने की एक ही सींव थी। यह सही है कि खेत ख.न. 18 में से आधा हिस्सा दिनांक 16.08.2005 को सीता व शांति ने मूली को दक्षिणी हिस्सा बेचान किया था। मेरे कब्जे के संबंध में विवादित खेत की रजिस्ट्री है जो प्रदर्श–4 है जिसके द्वारा मुझे कब्जा सौंपा गया। यह सही है कि रजिस्ट्री पर चस्पा मेरे फोटो पर मेरे हस्ताक्षर है। फोटो पर हस्ताक्षर मैंने कोर्ट परिसर में किया था। रजिस्ट्री पर बीरमाराम व तुलछाराम गोदारा ने इस रजिस्ट्री पर शाख डाली। यह जमीन मैंने 90,000 हजार रूपये में खरीदी थी, बीघा के हिसाब से पता नहीं। मैंने तो कुल 90,000(नब्बे हजार) में खरीदी थी। जमीन की किस्म बारानी है। किस्म कौनसी है मुझे पता नही, लगान दर का भी मुझे पता नहीं। रजिस्ट्री के स्टाम्प विक्रेता नेनूराम ने नहीं खरीदा। मैंने जमीन के रूपये

नागौर कोर्ट परिसर में दिये जो मैं मेरे घर से लाया जो खेती की आमदनी के थे। फिर पंजीयन कराने मानासर रजिस्ट्रार ऑफिस गये। लिछमणराम जो नेनूराम का भाई था जिसका कत्ल होना सुना था मुझे यह पता नही की लिछमण राम का कत्ल उसकी पत्नी ने किया। यह कहना गलत है कि सीता की दादी का नाम नैनी हो बल्की उसकी दादी का नाम बली है। यह कहना गलत है कि नेनूराम की माता का नाम नैनी हो बल्की बली है। नैनी के पति का नाम कालूराम है। यह सही है कि नेनूराम के पिता का नाम कालूराम है। यह सही है कि लिछमणराम के पिता का नाम कालूराम है। EX-13 के संबंध में मुझे पता नहीं सही है या गलत। प्रदर्श–13 का C to D हिस्सा सही है या गलत मुझे पता नहीं। यह सही है कि विक्रय पत्र के मैंने नेनूराम के पिता का नाम कालूराम लिखाया था। यह कहना गलत है कि सीता उसके पिता लिछमण का कत्ल होने के बाद नैनी के पास न रहकर नेनूराम के पास रहती थी। यह कहना सही है कि मैंने खेत खरीदा तब खतौनी में सीता का संरक्षक नेनूराम था। इसका नाम म्यूटेशन में दर्ज था। ऐसा कोई दस्तावेज मैंने पेश नहीं किये जिसमें विक्रेता सीता का कोई संरक्षक हो। मैंने तो नेनूराम का हिस्सा खरीदा था। सीता से मैंने किसी प्रकार का हिस्सा नही खरीदा था। मैंने मेरे विक्रय पत्र में सीता का वली नेनूराम नहीं लिखाया। प्रदर्श–4 का हिस्सा A to B सही लिखा है। रजिस्ट्री में लिखा है वो सही है मैंने ऊपर जो सीता का वली नेनूराम नही लिखाया वो गलत हो। न्यायालय से सीता व नेनूराम के बीच खेत का विभाजन जब मैंने खरीदा तब नही था। यह सही है कि सीता की माता शांति जीवित थी वो नाते ईनाणा चली गई थी। कालूराम की शादी बीरमसर में बली के साथ हुई जो नेनूराम की मां थी। यह सही है कि उक्त जमीन तीजा पत्नी हरूराम पुत्री मोटाराम घोड़ारण में थी। यह गलत है कि नैनी की मां तीजा है। बल्की बली है। नैनी के माता–पिता का नाम तथा कौनसी गांव की है मुझे पता नहीं। नैनी वर्तमान में जीवित है। यह कहना गलत है कि वादग्रस्त खेत में नैनी व उनके पुत्र रहते हो। मैं हमीराराम पुत्र नेनूराम नायक निवासी मुण्डासर को नहीं जानता हूँ। कालूराम ने कितनी शादियां की यह मुझे पता नहीं। यह सही है कि नैनी नाते आई है उसके पति का नाम कालूराम है। यह कहना गलत है कि नैनी के पेट से जन्म नेनूराम व लिछमणराम बेटे है। यह कहना गलत है कि मैंने कमजोर व विधवा औरत का खेत हड़पने के लिए दावा किया हो।

15. दिनांक 10.03.15 को निर्धारित तनकीयात के अनुसार विवेचन निम्नानुसार है–

तनकी सं. 1 – आया ग्राम बीरमसर के ख.न. 1 रकबा 4–04 बीघा, ख.न. 3 रकबा 2–12 बीघा व ख.न. 5 रकबा 30–16 बीघा सम्पूर्ण एवं ख.न. 18 रकबा 58–02 बीघा में से आधा मृतक लच्छीराम उर्फ लिछमणराम की खातेदारी के वादीगण एक मात्र वारिस होने के कारण खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी सं. 2 हत्या की आरोपी होने के कारण उत्तराधिकारी नही है

—— जिम्मे वादी

कथित दादी (नैनी) व पोती (सीता) ने पुत्र वधू व मां (शांति) के विरूद्ध दावा पेश किया कि उसके पुत्र की हत्या उसकी पत्नी (पुत्र वधु) ने कर दी है अतः वह उसके नाम की कृषि भूमि की हकदार उत्तराधिकारी नही रही। दावे में वादीया के कथित पुत्र व चाचा (नेनूराम) को भी प्रतिवादी संख्या एंक बनाया गया है। दावे के साथ वर्ष 1991 की पेश नकल जमाबंदी सम्वत 2042–45 के खाता संख्या 55 के अनुसार ग्राम घोड़ारण के ख.स. 18 रकबा 58–02 बीघा नेनू लच्छीराम पि. कालूराम कौम जाट सा.देह तथा ग्राम बीरमसर के ख.न. 1 रकबा 4–04 बीघा, ख.न. 3 रकबा 2–12 बीघा तथा ख.न. 5 रकबा 30–16 बीघा कुल रकबा 37–12 बीघा की खातेदारी जमाबंदी नकल सम्वत 2045–48 के खाता सं. 68 के अनुसार लिछमणराम पुत्र कालूराम जाट सा. घोड़ारण की दर्ज है। वादीगण की इस्तदुआ है कि ख.न. 18 रकबा 58–02 बीघा में से 1/2 हिस्सा पूर्वी भाग रकबा 29–01 बीघा तथा ख.न. 1, 3 व 5 की सम्पूर्ण भूमि वादीगण की खातेदारी घोषित की जायें।

इस वाद की डिक्री दिनांक 26.02.04 को जारी की गई थी कि प्रतिवादी संख्या 2 शांति का काऊन्टर क्लेम स्वीकार किया गया जाकर ख.न. 1, 3 व 5 ग्राम बीरमसर एवं ख.न. 18 मौजा घोड़ारण में 1/2 हिस्सा वादी नैनी पत्नी कालूराम, नेनूराम पुत्र कालूराम का तथा 1/2 हिस्सा वादिनी सं. 2 सीता पुत्री लिछमणराम व प्रतिवादी सं. 2 शांति पत्नी लिछमणराम का संयुक्त बंट कब्जे काश्त व खातेदारी में घोषित किये गये थे। इस निर्णय व डिक्री दिनांक 26.02.2004 को RAA नागौर ने अपील सं. 10/2005 अपीलान्ट नैना व सीता बनाम नैनी वगैरह निर्णय दिनांक 01.03.2006 से अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर निर्णय व डिक्री को निरस्त कर इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया गया है कि पक्षकारान को साक्ष्य सबूत का अवसर दिया जाकर पत्रावली का विधिवत निस्तारण करें।

वादग्रस्त भूमि जो लिच्छीराम उर्फ लिछमणराम के नाम खातेदारी में दर्ज थी उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी कौन–कौन थे, यह बिन्दु तय होना है। मृतक लिछमणराम की पत्नी शांति (प्रतिवादी सं. 2) है, यह तथ्य स्वीकार करते हुए वादिया ने उसे अपने वाद में स्वयं के पति की हत्या करने के कारण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत उसे अपने पति की कृषि भूमि से कानूनन वंचित होना बताया है। साथ ही पुलिस एफ. आई.आर. एवं चार्जसीट की नकले भी पेश की है जिसमें प्रतिवादी शांति को उसके पति की हत्या के लिए आरोपित माना है। साथ ही वादिया के बयान दिनांक 21.12.15 के अनुसार शांति ने अपने पति लिच्छीराम की हत्या करना बताया लेकिन उसके पास कोई सबूत नही होना भी बताया। शांति ने अपने बयान दिनांक 19.10.03 (D.W.-2) में न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नागौर प्रकरण सं. 65/1990 अनवान राज. राज्य बनाम मेवाराम वगैरह निर्णय दिनांक 12.08.1992 (प्रदर्श-3) के अनुसार अपने आपको न्यायालय से बाइज्जत बरी होना अंकित कराया है।

अतः शांति अपने पति लिच्छीराम उर्फ लिछमणराम की हत्या के आरोप से सक्षम न्यायालय से बरी होने से हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत मृतक पति की सम्पति से महरूम नही हो सकती है।

वादिनी ने अपने वाद में स्व. लिच्छीराम उर्फ लिछमणराम को अपना पुत्र बताते हुए उसकी कृषि भूमि में वह उत्तराधिकार से अपना हक माता के रूप में वाद से प्राप्त करने के दावे की विवेचना से पाया जाता है कि:–

वादिया नैनी के बयान दिनांक 21.12.15 के अनुसार उन्होनें जिरह द्वारा वकील प्रतिवादी सं. 1 के दौरान बताया कि "नेनू व लिछमण दोनों ही मेरे जायन्दा पुत्र नहीं है। ये दोनों कालूराम की पहली पत्नी के है। कालू की पहली पत्नी गुजरने के बाद मैं कालूराम के नाते गई।"

शांति (प्रतिवादी सं. 2) ने अपने बयान दिनांक 19.10.03 (D.W.-2) में अंकित कराया है कि "नैनी ने सीता का संरक्षक बताकर झूठा दावा किया है। मेरी सगी सास कभी की मर चुकी है। नैनी मेरी सास नहीं है। मेरी सगी सास मरने के बाद नैनी को कालूराम मेरा ससुर साथ रखने लग गया था। मेरी सगी सास का नाम बली है।"

वादी सं. 2 ने अपने बयान दिनांक 25.09.03 (D.W.-1) में अंकित कराया है कि "नैनी मेरे पिताजी की सगी माता नहीं है बल्कि मेरे पिता की सगी माता मर गई थी तब मेरे दादा नैनी को घर में डाल दिया था।"

उपर्युक्त बयानों से यह साबित होता है कि वादिनी नैनी मृतक लिच्छीराम उर्फ लिछमणराम की माता नहीं होकर माँ की जगह उसकी मृत्यु के बाद आयी विमाता है। अतः मृतक लिछमणराम की भूमि को माता के उत्तराधिकार में विमाता नैनी प्राप्त करने की हकदार नहीं है।

हालांकि प्रतिवादी सं. 1 नेनूराम के शपथ–पत्र दिनांक 13.04.16 में अंकित कराया कि "मु. शांती ने ईनाणा के सुखराम के साथ जब नाता किया तब सीता करीब 4–5 साल की नाबालिग बच्ची थी जो अपनी माता के साथ ही रही। कभी वादी के साथ नहीं रही। मु. नेनी मेरी माता नहीं है। मेरी माता तो बली है। बली के देहान्त के बाद मेरे पिता के साथ नाता किया था। इसलिए वह मेरी विमाता है। माता नहीं है।" से स्पष्ट है कि लिछमणराम की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी शांति ने पुर्नविवाह कर लिया है। इस आधार पर उसे अपने पूर्व पति की कृषि भूमि के उत्तराधिकार के अधिकार से वंचित नही किया जा सकता।

लिछमणराम की नाबालिग पुत्री (सीता) की संरक्षक उसकी सौतेली दादी ने बनकर दावा पेश किया था लेकिन अब सीता बालिग है। सीता व उसकी माता शांति के बयानों से स्पष्ट है कि नाबालिग बालिका सीता अपनी माता के संरक्षण में रह रही थी तथा इसकी माता ने ही इसका पालन पोषण कर बड़ा किया है। सीता की माता ही उसके भले बूरे की जिम्मेवार इसके नाबालिग काल में थी। सौतेली दादी का संरक्षक के रूप में किया गया दावा काल्पनिक है जो सीता स्वयं के बयान से भी साबित है।

इस प्रकार मृतक लिच्छीराम उर्फ लिछमणराम के नाम की खातेदारी की कृषि भूमि जो उसकी मृत्यु के समय उसके नाम थी, के उत्तराधिकार के रूप में हकदार उसकी पत्नी शांति व पुत्री सीता जरिये कुदरती वली माता शांति का होना संदेह से परे पूर्णरूप से साबित होता है। अतः तनकी सं. 1 वादिनी संख्या 1 के विरूद्ध तथा वादिनी संख्या 2 व प्रतिवादिनी संख्या 2 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 2 आया वादग्रस्त खेत के वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 2 मृतक लिछमणराम की पुत्री व पत्नी होने के आधार पर एक मात्र वारिसान है। वादी संख्या 1 मृतक की माता ने होकर विमाता होने के आधार पर उत्तराधिकारी नहीं है। उपर्युक्त तनकी संख्या 1 विवेचन से यह तनकी पूर्णरूप से साबित होती है।

तनकी संख्या 3 आया वादग्रस्त ख.न. 18 की आधा हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 से क्रय कर काबिज होने के आधार पर प्रतिवादी सं. 4 खातेदारी की घोषणा व विभाजन का हकदार है, का विवेचन करने से पाया जाता है वाद की इस्तदुआ पैरा नं. 8 के अनुसार "ख.न. 18 वाके मौजा घोड़ारण के शेष पश्चिमी भाग रकबा 29–01 बीघा को प्रतिवादी संख्या 1 के बंट सुदा खातेदारी में होने की घोषणा की जावें।" से स्पष्ट है कि ख.न. 18 रकबा 58–02 बीघा मौजा घोड़ारण का पश्चिमी भाग रकबा 29–01 बीघा प्रतिवादी सं. 1 नेनूराम की भूमि इस दावे का हिस्सा नहीं है।

प्रतिवादी संख्या 4 भागीरथ के काऊन्टर क्लेम के अनुसार उसने ग्राम सुभाषपुरा (घोड़ारण) के ख.न. 18 रकबा 58–02 बीघा में से विभाजित 1/2 हिस्सा 29–01 बीघा (उत्तरी भाग) प्रतिवादी संख्या 1 नेनूराम से जरिये रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज रूपये 90,000 में दिनांक 26.05.99 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था तब से यह भूमि उसके नाम म्यूटेशन होकर खातेदारी में दर्ज है। अतः इस भूमि को उसकी खातेदारी की घोषित की जावें।

प्रतिवादी संख्या 4 भागीरथ के काऊन्टर क्लेम के जवाब में वादी ने अपने जवाब में अंकित किया है कि मौके पर आधे हिस्से पर भागीरथ का कब्जा नहीं है तथा उसने वाद के विचाराधीन होते हुए कागजी विक्रय पत्र निष्पादित करवाया है इसलिए विधि अनुसार उक्त विक्रय पत्र अवैध व शुन्य है।

वादी नैनी के बयान दिनांक 18.02.15 में अंकित है कि "प्रतिवादी भागीरथ वादग्रस्त खेत में फसल नुकसान को लेकर मेरे पुत्रों सावताराम वगैरा पर मुकदमा किया था जिसमें मेरे पुत्रों का चालान हुआ था उसके अभी पेशिया पड़ती है। भागीरथ मास्टर के काश्त के खेत के दखणादी तरफ मूली पत्नी कालूराम काश्त करती है। उसके खेत के पास में आम रास्ता है। पहले ये खेत घोड़रण में आते थे अब यह नये राजस्व ग्राम सुभाषपुरा में आता है। भागीरथराम व मूली के खेतों के बीच में आगूण आथूण सींव है। नेनूराम ने अपना हिस्सा भागीरथ को बेच दिया।"

भागीरथ ने अपने बयान दिनांक 02.02.21 में उपस्थित होकर प्रस्तुत जमाबंदी की नकल प्रदर्श– 3 व बेचान दस्तावेज प्रदर्श–4 क को प्रदर्शित करवाया। चुंकि खसरा नं. 18 रकबा 58–02 बीघा से सहखातेदार नेनूराम ने अपना

आधा हिस्सा जो वादग्रस्त भूमि नही है, का बेचान प्रतिवादी सं. 4 भागीरथ को जरिये रजिस्टर्ड बेचान करके कब्जा सौंप दिया है तथा इसका जमाबंदी में भी अमल दरामद हो चुका है अतः यह तनकी प्रतिवादी सं. 4 के हक में निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 4 आया वादग्रस्त ख.न. 1, 3, 5 व 18 के वादी सं. 2 व प्रतिवादी सं. 2 का आधा हिस्सा होने के आधार पर इनसे जरिये विक्रय–पत्र भूमि क्रय करने के आधार पर प्रतिवादी सं. 5 खातेदारी की घोषणा एवं खाता विभाजन के हकदार है। वादिया नैनी द्वारा प्रदर्शित जमाबंदी नकल सम्वत 2042–2045 ग्राम घोड़ारण के खाता संख्या 55 (प्रदर्श–1) के अनुसार ख.न. 18 रकबा 58–02 बीघा की खातेदारी में नैनूराम, लिच्छीराम पि. कालूराम कौम जाट सा.देह दर्ज है इसी प्रकार प्रदर्श–2 जमाबंदी नकल ग्राम बीरमसर के खाता संख्या 68 के अनुसार ख.न. 1 रकबा 4–04 बीघा, ख.न. 3 रकबा 02–12 बीधा, ख.न. 5 रकबा 30–16 बीघा कुल खसरे तीन रकबा 37–12 बीघा की खातेदारी में नाम लिछमणराम पुत्र कालूराम कौम जाट सा. घोड़ारण दर्ज है

प्रतिवादी संख्या 5 के काऊन्टर क्लेम के अनुसार उसने सीता पुत्री लिछमणराम व शांति पत्नी लिछमणराम ने ग्राम सुभाषपुरा के ख.न. 18 रकबा 58–02 बीघा का 1/2 भाग रकबा 29–01 बीघा जरिये रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज दिनांक 16.08.05 को खरीद किया था जिसका ग्राम सुभाषपुरा का म्यूटेशन नं. 24 स्वीकृत होकर उनके नाम खातेदारी दर्ज हो चुकी है तथा मौके पर काबिज होना बताया। इसी प्रकार ग्राम बीरमसर के ख.न. 1 रकबा 4–04 बीघा, ख.न. 3 रकबा 02–12 बीधा, ख.न. 5 रकबा 30–16 बीघा कुल खसरे तीन रकबा 37–12 बीघा में से सीता पुत्री लिछमणराम व शांति पत्नी लिछमणराम का 1/2 सम्पूर्ण हिस्सा दिनांक 26.05.05 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान से क्रय की जिसका नामान्तकरण संख्या 157 दिनांक 20.08.05 से यह भूमि प्रतिवादी संख्या 5 के नाम दर्ज हुयी तथा प्रतिवादी सं. 5 मूली द्वारा आगे बेचान करने से जरिये नामान्तकरण संख्या 173 दिनांक 20.07.06 के द्वारा यह भूमि बेचान होने से बरजू देवी पत्नी नेनूराम कौम जाट के नाम दर्ज हुयी।

वादी नैनी ने जिरह में बताया कि "भागीरथ मास्टर के काश्त के खेत के दखणादी तरफ मूली पत्नी बालूराम काश्त करती है। भागीरथराम व मूली के खेतों के बीच में आगूण आथूण सींव है।"

प्रतिवादी संख्या 5 मूली ने अपना शपथ–पत्र अधीन ओदश 18 नियम 4 का दिनांक 13.04.16 को पेश किया जिसमें उसनें दिनांक 16.08.05 का ख.न. 18 रकबा 58–02 बीघा भूमि में से शांति व सीता का 1/2 हिस्सा खरीदा जिसका नामान्तकरण संख्या 24 दिनांक 20.08.05 को स्वीकृत होकर रेकर्ड में अमल दरामद हुआ। इसी प्रकार दिनांक 16.08.05 को ख.न. 1 रकबा 4–04 बीघा, ख.न. 3 रकबा 02–12 बीधा, ख.न. 5 रकबा 30–16 बीघा कुल खसरे तीन रकबा 37–12 में से शांति व सीता से 1/2 हिस्सा खरीदा तथा इस भूमि को आगे बरजूदेवी पत्नी नैनूराम कौम जाट सा. बीरमसर को बेचान किया।

उपर्युक्त विवेचन से तनकी संख्या 4 प्रमाणित होती है लेकिन इस न्यायालय के वाद संख्या 16/91 निर्णय दिनांक 26.02.04 द्वारा ग्राम बीरमसर की भूमि ख.न. 1, 3 व 5 जो पहले अकेले लिछमणराम पुत्र कालूराम के नाम थी इस डिक्री से नैनी पत्नी कालूराम व नेनूराम पुत्र कालूराम 1/2 हिस्सा, सीता पुत्री लिछमणराम व शांति पत्नी लिछमणराम 1/2 हिस्सा घोषित किया गया तथा शांति व सीता का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 मूली ने जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज क्रय किया है तथा आगे मूली ने बरजू पत्नी नेनूराम को बेचान किया।

अतः ग्राम सुभाषपुरा के ख.न. 18 रकबा 58–02 बीघा में से 1/2 हिस्सा रकबा 29–01 बीघा (उत्तरी हिस्सा) प्रतिवादी संख्या 4 भागीरथराम पुत्र चेनाराम कौम जाट निवासी श्यामसर तथा शेष रकबा 29–01 (दक्षिणी हिस्सा) मूली पत्नी बालूराम जाट सा. ऊंटवालिया की खातेदारी का घोषित किया जाता है।

इसी प्रकार ग्राम बीरमसर ख.न. 1 रकबा 4–04 बीघा, ख.न. 3 रकबा 02–12 बीघा, ख.न. 5 रकबा 30–16 बीघा कुल 37–12 बीघा के शांति पत्नी लिछमणराम व सीता पुत्री लिछमणराम हिस्सा 1/2 व बरजू पत्नी नेनूराम हिस्सा 1/2 के सहखातेदार घोषित किये जाते है।

उक्तानुसार डिक्री जारी की जावे तथा पालना हेतु तहसीलदार नागौर को लिखा जावें ग्राम सुभाषपुरा की भूमि वर्तमान में बैंक के रहन है अतः रहन मुक्ती के बाद अमल दरामद हो।

यह हैं कि निर्णय आज दिनांक **25.03.2021** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(रामजस विश्नोई)
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर